



CSIR-National Metallurgical Laboratory
(Burmamines, Jamshedpur, Jharkhand-831007)

Website-<https://www.nml.res.in>

Helpline: Ph.:0657-2345158

email: recruitment2025@admn.nml.in



Recruitment Advertisement No. 07/2025

Recruitment of Junior Stenographer

Opening date of Online applications: 01.12.2025 (from 11:00 hours IST)

Last date for receipt of Online applications: 31.12.2025 (upto 23:00 hours IST)

CSIR-NML strives to have a workforce that reflects gender balance and women candidates are encouraged to apply.

CSIR-National Metallurgical Laboratory (NML), a constituent Laboratory of the Council of Scientific & Industrial Research (CSIR), which is an Autonomous Body under Ministry of Science & Technology, Government of India, is an R&D organization dedicated to metallurgical and materials engineering research. With its modern and extensive infrastructure and the large spectrum of expertise of its Scientific and Technical manpower, CSIR-NML is primarily engaged in industrially and socially significant research pursuits that align with national interest and demonstration of high quality science.

CSIR-National Metallurgical Laboratory invites applications from eligible and interested Indian citizens for filling up 05 (five) [UR: 02; EWS: 01; SC:01; ST: 01] vacancies in the post of Junior Stenographer [in Pay Level - 4] of Pay Matrix [Group 'C' (non-gazetted)] as detailed below:

Post Code	Name of the post	No. of Post & Reservation	Scale of Pay as per 7 th CPC	Essential Qualifications	* Upper Age Limit
J 01	Junior Stenographer	No. of Posts: 05 [UR: 02; EWS: 01; SC:01; ST: 01]	Level-4 [Rs. 25,500- 81,100] (Total Emoluments: Rs.48,000/-PM [approximately])**	10+2/XII or its equivalent and proficiency in stenography as per the prescribed norms fixed by DoPT from time to time	27 Years

Abbreviations used: UR -Unreserved, **EWS** -Economically Weaker Section, **SC**-Scheduled Castes, **ST**- Scheduled Tribes, **DoPT**: Department of Personnel & Training, Government of India.

Out of 5 posts of Junior Stenographer, one post is reserved for PwBD candidates under the category 'a' [B-Blind/LV-Low Vision].

Note: The number of vacancies indicated above is provisional and may increase or decrease.

Crucial date for claim of SC/ST/OBC/EWS/PwBD status or any other benefit viz. fee concession, reservation age-relaxation as well as determining the age, qualifications and experience etc., where not specified otherwise, shall be the closing date for receipt of online applications.

*Kindly see relaxation clause for age relaxation to various categories of candidates.

**Total Emoluments means approximate total emoluments per month on minimum of scale including House Rent Allowance, Transport Allowance as admissible in 'Y' class city, as per rule.

1. Essential Qualification (s):

10+2/XII or its equivalent and proficiency in stenography as per the prescribed norms fixed by DoPT from time to time.

2. Selection Procedure:

A Committee duly constituted by the Director, CSIR-NML, will shortlist the candidates fulfilling the qualification(s), terms and conditions of this advertisement. However, detailed scrutiny will be done only at the time of final selection.

The selection will be made based on the merit list of Competitive Written Examination and Proficiency Test in Stenography which is qualifying in nature. The details of scheme of written examination are as mentioned below:

2.1. Scheme of Competitive Written Examination for Junior Stenographer:

Mode of Examination	OMR Based or Computer Based Objective Type Multiple Choice Examination
Medium of Questions	The questions will be set both in English and Hindi except the questions on English language
Standard of Exam	10+2 / XII th
Total No. of Questions	200
Total time allotted	2 hours (2 hours and 40 minutes for the candidates eligible for scribe)

2.2. Competitive Written Examination for the post of Junior Stenographer will consist only of one paper with 03 parts as detailed below:

Part	Subject	No. of Questions	Maximum Marks	Negative Marks
I	General Intelligence & Reasoning	50	50	0.25 marks will be deducted for every wrong answer
II	General Awareness	50	50	0.25 marks will be deducted for every wrong answer
III	English Language & Comprehension	100	100	0.25 marks will be deducted for every wrong answer

2.3. Proficiency Test in Stenography:

The candidates will be given one dictation for 10 minutes in English or Hindi (as opted by the candidates in their Application Form) at the speed of 80 w.p.m for the post of Junior Stenographer. The transcription time is as follows:

Sl. No.	Language of Skill Test	Time Duration (In Minutes)	Time Duration (In Minutes) for the candidates eligible for scribe
1.	English	50	70
2.	Hindi	65	90

2.4. Preparation of Merit List:

- The proficiency in stenography will only be qualifying in nature.
- The final merit list will be prepared on the basis of the performance of the candidates in the competitive written examination.
- The merit list will only comprise of those candidates who have qualified the proficiency test in stenography

2.5. Sequence / Order of conducting Competitive Written Examination and Proficiency Test in stenography: The sequence / order of conducting the proficiency test in stenography followed by a competitive written examination or vice versa will be decided by the Selection Committee and the same will be notified through the website of CSIR-NML for information of all concerned.

2.6. Methodology for resolution of tie cases wherever two or more candidates have secured equal aggregated marks for the posts of Junior Stenographer:

- i. Candidate with lesser negative marks in the Competitive Written Examination, will be placed higher;
- ii. Date of Birth, with older candidate placed higher;
- iii. Candidate acquiring minimum educational qualification earlier, placed higher;
- iv. Alphabetical order in which first names of the candidates appear.

General Information and Conditions

1. Benefits under Council Service:

- A. All New Entrants will be governed by the "New Pension Scheme" based on defined Contributions for new entrants recruited in Central Government Services on or after 01.01.2004, as adopted by CSIR for its employees. The entitlement of pension, if any, at CSIR/CSIR-NML under a particular pension scheme of Government of India in case of persons selected from other Government Departments/autonomous Bodies/Public Sector Undertakings/Central Universities, will be regulated as per the provisions of CCS (Pension), Rules, 1972 (now-2021).
- B. The post carries usual allowance i.e., Dearness Allowance (DA), House Rent Allowance (HRA), Transport Allowance (TA) etc. as admissible to the Central Government employees and as made applicable to CSIR. Council employees are also eligible for accommodation of their entitled type as per CSIR Residence Allotment Rules-2022 depending on availability in which case HRA will not be admissible. In case it is desired by the Director, CSIR-NML, the incumbent(s) has/have to stay in CSIR-NML staff quarters.
- C. In addition to the emoluments indicated above, benefits such as reimbursement of Medical Expenses, Leave Travel Concession, Computer Advance and House Building Advance are available as per CSIR rules.
- D. The normal place of posting is CSIR-NML, Jamshedpur including its centre located in Chennai. However, the appointee can be posted to work in any Section/Division in any of Laboratories / Institutes of CSIR including their field centres/regional centres in any part of India on the discretion of the Competent Authority.
- E. CSIR provides career advancement opportunities under the provision of CSIR Administrative Services (Recruitment and Promotion) Rules, 2020, as amended from time to time..
- F. The appointment to the post shall be governed by the provisions of the Central Civil Services (Conduct) Rules, 1964, Central Civil Services (Classification, Control and Appeal) Rules, 1965 as amended from time to time and other Services Rules, to the extent made applicable to the Council Servant and decision of CSIR as to their applicability shall be final and binding.

2. Other Conditions:

- A. The applicant must be a citizen of India.
- B. All applicants must possess the essential qualifications of the post and fulfil other conditions stipulated in the advertisement. They are advised to satisfy themselves before applying that they possess at least the minimum essential qualifications laid down for the post which is compulsory even if a candidate has some other higher qualifications. **Inquiries asking for advice as to eligibility will not be entertained.**
- C. The candidate should mention in the application all the qualifications and experience, if any, in the relevant area supported by documents and ensure that all details are in full and accurate.
- D. The Competent Authority, CSIR-NML has the right to amend, delete or add terms & conditions to this advertisement.
- E. In respect of the equivalent clause, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification as per the requirement of advertisement, then the candidate is required

to produce order/letter in this regard, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated otherwise the application is liable to be rejected. The decision of CSIR-NML/ CSIR with regard to equivalence of qualification(s) and about recognition of Universities / Institutes / Boards / Councils shall be final and binding.

- F. If any document/certificate furnished is in a language other than Hindi or English, a transcript of the same either in Hindi or in English, duly attested by a Gazetted Officer or Notary is to be submitted also with the Application Form.
- G. Date of Birth filled by the candidate in the online application must match with the date recorded in Matriculation / Secondary School Certificate. Subsequent request for change of date of birth will not be entertained.
- H. Candidate shall not be reimbursed / paid any Travelling Allowance / Daily Allowance for appearing for Written Test and / or Proficiency Test.
- I. The decision of CSIR-NML/CSIR in all matters relating to eligibility, acceptance or rejection of applications, mode of selection and conduct of examination, venue of test(s) will be final and binding on the candidates. No enquiry or correspondence will be entertained in this connection from any individual or agency on behalf of the candidate.
- J. **Canvassing in any form and/or bringing any influence, political or otherwise will be treated as a disqualification for the post.**
- K. The Director, CSIR-NML reserves the right to cancel the advertisement without assigning any reason thereof or reserves the right not to fill up the post, if required. The number of vacancies indicated above may vary i.e., it may increase or decrease at the time of actual selection. The selection process is subject to the CSIR/GoI instructions prevalent at a given point of time during various stages of selection process.
- L. The selected candidate will be on **probation for two years** from the date of taking over the charge of the post. The probationary period may be extended or curtailed at the discretion of the Competent Authority, CSIR-NML.
- M. Applicants must disclose as to whether any of their close or blood relatives are employees of CSIR-NML or CSIR or any other Laboratory/Institute of CSIR, in the Application Form.
- N. Disqualifications: No person, (a) who has entered into, or contracted a marriage with a person having a spouse living, or (b) who, having a spouse living has entered into, or contracted a marriage with any person shall be eligible for appointment to the Council service provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for doing so, exempt any person from operation of this rule.
- O. Provisional candidature: Mere applying for the post against this advertisement does not necessarily amount to, either explicitly or implicitly, selection being actually made. The candidature for Competitive Written Examination and Proficiency Test will be accepted only provisionally. The selection will be subject to fulfilling all the terms & conditions of the selection process and satisfying all the CSIR / Government of India instructions prevalent at a given point of time during various stages of selection process.
- P. Any further information regarding this advertisement like date, time and venue of tests, addendum/corrigendum or any variation in number of post/cancellation of post etc., will only be made available through CSIR-NML website <https://nml.res.in> Therefore, candidates are advised to keep visiting regularly the website <https://nml.res.in>.
- Q. In case of any variation in Hindi version and English version of this advertisement, the English version shall prevail.
- R. **NO INTERIM ENQUIRY OR CORRESPONDENCE WIL BE ENTERTAINED.**

3. Age Limit & Relaxations:

- A. The age limit for the post of Junior Stenographer is 18-27 years.
- B. The upper age limit is relaxable up to 5 years for SC/ST and 03 years for OBC (NCL) as per Government of India orders in force only in those cases where the post is reserved for respective categories, on production of relevant certificate in the prescribed format signed by the specified authority. **Format / Declaration for OBC (NCL) (Annexure-II & IIA); SC; ST (Annexure-I)]**
- C. There is no age limit for CSIR departmental candidates provided they possess the prescribed qualification. CSIR departmental candidates mean the permanent CSIR employees only and not the temporary/contractual/project staff etc.
- D. Age relaxation for Widows, Divorced Women and Women judicially separated from Husbands who are not remarried: the upper age limit is relaxable up to the age of 35 years (upto 40 years for members of SC/ST in respect of the posts reserved for them). The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to submit following document along with Online Application form:
- I. In case of Widow: Death Certificate of her husband together with an Affidavit that she has not remarried since;
 - II. In case of divorced Women and Women judicially separated from their husbands: A certified copy of the judgement / decree of the appropriate Court to prove the fact of divorce or the judicial separation, as the case may be, with an affidavit in respect of divorced Women that they have not remarried since.
- E. Concession / relaxation to Persons with Benchmark Disability
1. Age relaxation for persons with benchmark disabilities (PwBD): Age relaxation of 10 years (15 years for SC/ST and 13 years for OBC (NCL) candidates, only in those cases where the post is reserved for respective categories) in upper age limit shall be allowed to persons suffering from (a) blindness or low vision (b) deaf and hard of hearing (c) locomotor disability including cerebral palsy, leprosy cured, dwarfism, acid attack victims and muscular dystrophy (d) autism, intellectual disability, specific learning disability and mental illness; (e) multiple disabilities from amongst persons under clauses (a) to (d) including deaf-blindness. The age concession to the persons with disabilities shall be admissible irrespective of the fact whether the post is reserved for person with benchmark disabilities or not. The persons claiming age relaxation under this sub-para would be required to produce a certificate in prescribed proforma in support of their claims clearly indicating that the degree of physical disability is 40% or more. In any case, the appointment of these candidates will be subject to their being found medically fit in accordance with the standards of medical fitness as prescribed by the Government of India / CSIR-NML/CSIR for each individual posts. **[Formats for PwBD certificates (Annexure-IV, IVA and IVB)]**
 2. CSIR-NML will consider the suitability of post for various benchmark disabilities under the Rights of Persons with Disabilities (RPwD) Act, 2016 in accordance with Notification No. 38-16 / 2020-DD-III dated 04.01.2021 issued by Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan), Ministry of Social Justice:

Name of Post	Functional Requirement	Suitable Category of Benchmark Disability
Junior Stenographer	S, ST, W, BN, RW, SE, H, C, MF	a) B, LV b) HH c) OA, OL, BL, OAL, CP, LC, Dw, AAV, MDy d) ASD (M, MoD), ID, SLD, MI e) MD involving (a) to (d) above

Abbreviations used:

Nature of Physical Disabilities: B=Blind, LV=Low Vision, D=Deaf, HH=Hard of Hearing, OA=One Arm, OL=One Leg, BA=Both Arms, BL=Both Leg, OAL=One Arm and One Leg,

CP=Cerebral Palsy, LC=Leprosy Cured, Dw=Dwarfism, AAV=Acid Attack Victims, MDy=Muscular Dystrophy, ASD=Autism Spectrum Disorder (M=Mild, MoD=Moderate), ID=Intellectual Disability, SLD=Specific Learning Disability, MI=Mental Illness, MD=Multiple Disabilities

Physical Requirements: S=Sitting, ST=Standing, W=Walking, BN=Bending, MF=Manipulation with Fingers, RW=Reading & Writing, SE=Seeing, H=Hearing, C=Communication.

3. Provision of Compensatory Time and assistance of scribe:

- 3.1. In case of persons with benchmark disabilities (PwBD) in the category of blindness, locomotor disability (both arms affected-BA) and cerebral palsy, the facility of scribe is provided, if desired by the candidate.
- 3.2. In case of remaining categories of persons with benchmark disabilities (PwBD), the provision of scribe will be provided on production of certificate, at the time of examination to the effect that the person concerned has physical limitation to write, and scribe is essential to write examination on his behalf, form the Chief Medical Officer/ Civil Surgeon/ Medical Superintendent of a Government health care institution as per proforma at **Annexure-V.**
- 3.3. The facility of scribe will also be provided to PwBD candidates having disability less than 40% and having difficulty in writing in pursuance to OM No. 29-6/2019-DD-II dated 10.08.2022 issued by Department of Empowerment of Persons with Disabilities, Ministry of Social Justice and Empowerment. The facility will be provided on production of certificate as per **Annexure-VA.**
- 3.4. The facility of scribe / passage reader will be provided to the PwBD / PwD candidates only if she / he writes an email to this effect to the email id recruitment2025@admn.nml.in, 15 (fifteen) days in advance, from the date of the Written Examination.
- 3.5. The candidates will have the discretion of opting for his/her own scribe or to avail the facility of scribe provided by CSIR-NML.
- 3.6. In case the candidate opts for his own scribe, the qualification of the scribe should be one step below the qualification of the candidate taking the examination. The candidates with benchmark disabilities (PwBD) opting for own scribe shall be required to submit details of the own scribe at the time of examination as per proforma at **Annexure-VI.**
- 3.7. The candidates with disabilities (PwD) eligible for the scribe as per Para 3.3 above and opting for own scribe shall be required to submit details of the own scribe at the time of examination as per proforma at **Annexure-VIA.** In addition, the scribe has to produce a valid ID proof in original at the time of examination.
- 3.8. A photocopy of the ID proof of the scribe signed by the candidate as well as the scribe will be submitted along with proforma at **Annexure-VI/ Annexure-VIA.** If subsequently it is found that the qualification of the scribe is not as declared by the candidate, then the candidate shall forfeit his right to the post and claims relating thereto.
- 3.9. If a candidate opts for his own scribe, in that case, that scribe should not be candidate of this examination. If a candidate is detected as assisting another PwBD / PwD candidate as scribe in this examination, then the candidatures of both the candidate, will be cancelled.
- 3.10. A compensatory time of 20 minutes per hour of examination will be provided to the persons who are allowed use of scribe as described at Para 3.1, 3.2 and 3.3 above.
- 3.11. The candidates referred at Para 3.1, 3.2 and 3.3 above who are eligible for using scribe but not availing the facility of scribe will also be given compensatory time of 20 minutes per hour of examination.

- 3.12 No attendant other than the scribe for eligible candidates will be allowed inside the Examination Hall.
- 3.13 One eyed candidates and partially blind candidates who are able to read the normal Question Paper set with or without magnifying glass and who wish to write / indicate the answer with the help of magnifying glass will be allowed to use the same in the Examination Hall and will not be entitled to a scribe. Such candidates will have to bring their own magnifying glass to the Examination Hall.
- 3.14 The PwBD/ PwD candidates who have availed the facility of scribes/ passage reader and/ or compensatory time must produce relevant documents for the eligibility of scribe/ compensatory time at the time of test (s) as well as of Document Verification. Failure to produce such supporting documents will lead to cancellation of candidature.
- 3.15 Candidates under PwBD category are required to attach the relevant certificate in prescribed proforma as per Annexure IV to IVB, as per applicability.

F. Concession / relaxation in case of ex-servicemen

1. Relaxation in upper age limit is available to ex-servicemen: 03 years after deduction of the military service rendered from the actual age as on closing date of receipt of online application.
2. Ex-Servicemen who have already secured employment in civil side under Government in Group C &/or D posts on regular basis after availing benefits of reservation given to ex-servicemen for their re-employment, are not eligible for reservation in ESM category and fee concession.
3. However, such candidates can avail of the benefit of reservation as ex-serviceman for subsequent employment if he/ she immediately after joining civil employment, has given self-declaration / undertaking to the concerned employer about the date wise details of applications for various vacancies for which he had applied for before joining the initial civil employment as mentioned in the OM No. 36034/1/2014-Estt (Res) dated 14th August 2014 issued by DoP&T.
4. The period of "Call up Service" of an Ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service rendered in the Armed Forces for purpose of age relaxation as per rules.
5. For any serviceman of the three Armed Forces of the Union to be treated as Ex-Serviceman for the purpose of securing the benefits of reservation, s/he must have already acquired, at the relevant time of submitting his/her application for the Post/ Service the status of ex-servicemen or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the Competent Authority that he would complete specified term of engagement from the Armed Forces within the stipulated period of one year from the closing date for receipt of applications. Such candidates must also acquire the status of an ex-serviceman within the stipulated period of one year from the closing date of receipt of application.
6. The term ex-servicemen will apply to the persons who are defined as ex-servicemen in the Ex-servicemen (Re-employment in Civil Service and Posts) Rules, 1979, as amended from time to time and the instructions issued by the Government vide DoP&T OM No. 36012/3/2021-Estt. (Res.II) dated 27.02.2023, which provides, inter-alia, as under: - "Candidates working in the Armed Forces would become eligible for applying Civil posts only when he completes the prescribed period of Armed Forces Service within a year from the last date of receiving application in connection with Special Recruitment/Examination, etc., prescribed by the Competent Authority. Provided, when selection process takes more than one year, from the last date of receiving of applications, the candidate will not be declared ineligible under Ex-servicemen category only on the ground that he has got himself released from Armed forces after one year from the last date of receiving of application. "Such candidates are also required to be in possession of the prescribed certificate and the Undertaking as at Appendix-V (A) and V(B) [Annexure-VIII & IX of this advertisement] of the Rules, by the closing date of the receipt of online application.
7. Explanation: An "ex-serviceman" means a person:

- 7.1. Who has served in any rank whether as a combatant or non-combatant in the Regular Army, Navy or Air Force of the Indian Union, and;(i) who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his pension; or (ii) who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or (iii) who has been released from such service as a result of reduction in establishment; or
 - 7.2 Who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given a gratuity, and includes personnel of the Territorial Army namely, pension holders for continuous embodies service or broken spells of qualifying service; or
 - 7.3 Personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service with pension, or are released from the Army Postal service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstance beyond their control and awarded medical or other disability pension; or
 - 7.4 Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April, 1987; or
 - 7.5 Gallantry award winners of the Armed forces including personnel of Territorial Army; or
 - 7.6 Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension. A matriculate Ex-Serviceman (Which includes an Ex-Serviceman, who has obtained the Indian Army Special Certificate of education or corresponding certificate in the Navy or the Air Force), who has put in not less than 15 years of service as on closing date of receipt of applications with the Armed Forces of the Union shall be considered eligible for appointment to the Group "C" posts against posts reserved for ESM only. Thus, those matriculate Ex-Servicemen who have not completed 15 years of service as on the closing date for receipt of applications are not eligible for these posts.
- G. SC/ST/OBC [NCL]/EWS/PwBD/Ex-servicemen candidates are required to submit a copy of the certificate in the prescribed format signed by the specified authority valid for appointment of posts under the Central Government, along with the online application. The original certificates are to be produced as and when asked for by the Competent Authority, CSIR-NML for verification. The candidature/ appointment of candidate shall remain provisional till the veracity of all these certificates are established.
- H. No relaxation of age limit for applicants under employment of Central Govt./State Govt./Autonomous Bodies will be allowed.
- I. Relaxations are permissible in upper age limit to some other categories as per instruction of GoI/CSIR.
- J. A person seeking appointment on the basis of reservation of EWS must ensure that he/she possesses the Income & Asset certificate valid for the financial year 2025-2026 issued on the basis of Income for the financial year 2024-25 in accordance with the DoP&T OM No. 36039/1/2019-Estt (Res) dated 31.01.2019. **[format for EWS certificate(Annexure-III)]**

4. How to Apply:

CANDIDATES ARE ADVISED TO GO THROUGH THE INSTRUCTIONS FOR APPLYING ONLINE, AVAILABLE IN ONLINE APPLICATION PORTAL ON CSIR-NML WEBSITE:

<https://nml.res.in>

- A. Eligible and interested candidates are required to apply ONLINE only through CSIR-NML website. The link for ONLINE APPLICATION will be available on CSIR-NML's website i.e <https://nml.res.in> from 01.12.2025 (11.00 AM) to 31.12.2025 (11:00 PM). No other mode of application will be accepted. URL for application portal is <https://itapps.nmlindia.org/JRSTNG>

- B. Candidates are required to submit only one application against the given post code for being considered for the post thereunder in this advertisement. Two or more applications by a candidate against the post code may lead to cancellation of candidature of such candidate.
- C. Candidates are advised to submit Online Application Form well in advance, without waiting for the last date/time to apply. CSIR-NML will not be responsible for non-submission of application form and/or payment of application fee, for any reason whatsoever.**
- D. Candidate are required to have a valid and active personal email ID which must be kept active till the completion of this recruitment process. This e-mail ID is required to be mentioned in the online application form. In case a candidate does not have a valid personal e-mail ID, he/she should create his/her new e-mail ID before applying online.
- E. The candidates are also required to scan and upload his/her latest passport size colour photograph (not older than three months) as well as his/her signature at specified places in Online Application Form.
- F. The photograph [without cap, goggles and face with both ears visible from front; (size 15KB to 30 KB) and the signature of the candidate [with black ink on plain white paper; size 05 KB to 20 KB] must adhere to the required specification. The signature must not be in block letters.**
- G. Candidates are required to pay **application fee of Rs.500/-** (five hundred only) by clicking the link provided in the online application through [SB Collect](#) (kindly click on SBI Collect for online payment) → Govt./PSU/Courts/Search Director NML → Select Payment Category → Select type of Application fee → Type of Application [Regular Appointment]. The candidates belonging to SC/ST/PwBD/Women/CSIR Employees/only those ESM who are eligible for reservation categories, are exempted from payment of application fee. On making payment, the receipt generated should be preserved for future reference.
- H. In case of Universities/Institutes/Boards/Councils awarding CGPA/SGPA/OGPA grades etc., candidates are requested to convert the same into percentage based on the formula as per their University/Institute/Boards/Councils and mention accordingly in online application form at the specified places.
- I. After submission of ONLINE APPLICATIONS, applicants shall preserve the computer-generated applications for future reference.
- J. Application once submitted shall not be allowed to be withdrawn and fees paid will not be refunded on any account nor can it be held in reserve for any other recruitment or selection process.
- K. Applications from candidates working in Government Departments /Autonomous Bodies /Public Sector Undertakings / Local bodies will be considered along with NO OBJECTION CERTIFICATE (NOC) from present employers. In case, the candidate could not attach the requisite NOC, he/she can enclose the self-attested copy of the request submitted by her/him to the present employer seeking NOC for her / his application against this advertisement. Such candidates must produce the requisite NOC as and when sought by CSIR-NML failing which his/her candidature will be terminated forthwith. The vigilance clearance should also be recorded in the said NOC.
- L. The online application(s) without signature, photograph and application fee (if applicable) etc., without self-attested documents in support of all the claims made in the application form, also in case of signature, photograph and any of the uploaded documents being blurred, will not be entertained and will be summarily rejected.

Helpline Email ID in case of any technical problem/issue while filling up Online Application Form is recruitment2025@admn.nml.in.

M. All further announcements regarding names of shortlisted candidates, date and time of tests etc. /other details pertaining to this recruitment process/updates/corrigendum/addendum etc. will be published/provided only on CSIR-NML official website <https://www.nml.res.in> from time to time.

N. The following documents are required to be scanned [as a single pdf file of not more than 4.5 MB] and attached along with online application:

- i. 10th / Matriculation / Secondary certificate & marks sheet;
- ii. 12th Intermediate / 10+2 Certificate & Marks sheet
- iii. Copy of exam fee payment receipt if any;
- iv. The following declaration, written by the candidate in his/her own handwriting on plain white paper with black ink pen:

I _____ (name of the candidate) hereby declare that the information provided by me in my online application against the CSIR-NML Recruitment Advt. No. 07/2025 are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature / appointment is liable to be cancelled/ terminated and action as deemed fit, can be taken against me.

Signature of the candidate with date

- v. Other Educational Qualification Certificate/s
- vi. Order/ letter in respect of equivalent Educational Qualifications claimed, indicating the Authority (with number and date) under which it has been so treated, in respect of equivalent clause in Essential Qualifications, if a candidate is claiming a particular qualification as equivalent qualification.
- vii. Caste/ Category Certificate, if belongs to reserved categories (SC / ST / OBC (NCL) / EWS)
- viii. Persons with Benchmark Disabilities Certificate in the required format, if applicable
- ix. For Ex-Servicemen (ESM):
 - (a) Undertaking as per **Annexure-IX**
 - (b) Serving Defence Personnel Certificate as per **Annexure-VIII**, if applicable
 - (c) Discharge Certificate / PPO, if discharged from the Armed Forces
- x. Any other relevant certificate if seeking any age relaxation
- xi. No Objection Certificate, in case already employed in Government Department / Government undertakings / Autonomous Bodies / CSIR or its Labs / Institutes.
- xii. A candidate who claims change in name after matriculation on marriage or remarriage or divorce, etc. the following documents are also required to be submitted along with online application:
 - (a) In case of marriage of women: Photocopy of Husband's passport showing names of spouses or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from husband and wife along with a joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;
 - (b) In case of re-marriage of women: Divorce Deed/Death certificate, as the case may be, in respect of first spouse; and photocopy of present husband's passport showing names of spouse or an attested copy of marriage certificate issued by the Registrar of Marriage or an Affidavit from the husband and wife along with joint photograph duly sworn before the Oath Commissioner;
 - (c) In case of divorce of women: Certified copy of Divorce Decree and Deed Poll/ Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner;
 - (d) In other circumstances for change of name for both male and female: Deed Poll/Affidavit duly sworn before the Oath Commissioner and paper cuttings of two leading daily newspaper in original (One daily newspaper should be of the area applicant's permanent and present address or nearby area) and Gazette Notification.

5. **ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT/ USE OF UNFAIR MEANS**

Candidates are advised in their own interest that they should not furnish any particulars that are false, tampered with or fabricated and should not suppress any material information

while submitting online application. At the time of examination, interview or in a subsequent selection procedure, if a candidate is (or has been) found guilty of-

- a. Using unfair means or
- b. Impersonating or procuring impersonation by any person or
- c. Misbehaving in the examination/ interview hall or disclosing, publishing, reproducing, transmitting, storing or facilitating transmission and storage of contents of the test(s) or any information therein in whole or part thereof in any form or by any means, verbal or written, electronically or mechanically for any purpose or
- d. Resorting to any irregular or improper means in connection with his/ her candidature or
- e. Obtaining support for his/ her candidature by unfair means, or
- f. Carrying mobile phones or similar electronic devices of communication in the examination/ interview hall, such a candidate may, in addition to rendering himself/ herself liable to criminal prosecution, be liable:
 - (i) to be disqualified from the examination for which he/ she is a candidate
 - (ii) to be debarred either permanently or for a specified period from any examination conducted by the CSIR
 - (iii) for termination of service, if he/ she already joined the Institute.

The Competent Authority, CSIR-NML may also report the matter to Police/ Investigating Agencies, as deemed fit and the Competent Authority may also take appropriate action to get the matter examined by the authorities/ forensic experts concerned.

Sd/-
Controller of Administration



FORMAT FOR SC/ ST CERTIFICATE

A candidate who claims to belong to one of the Scheduled Caste or the Scheduled Tribes should submit in support of his/ her claim an attested/certified copy of a certificate in the form given below, from the District Officer or the sub-Divisional Officer or any other officer as indicated below of the District in which his parents (or surviving parent) ordinarily reside who has been designated by the State Government concerned as competent to issue such a certificate. If both his parents are dead, the officer signing the certificate should be of the district in which the candidate himself ordinarily resides otherwise than for the purpose of his own education. Wherever photograph is an integral part of the certificate, the Commission would accept only attested photocopies of such certificates and not any other attested or true copy.

(The format of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes candidates applying for appointment to posts under Government of India)

This is to certify that Shri/Shrimati/Kumari* _____
son/daughter _____ of _____ of
village/town* _____ in District/Division * _____ of
the State/Union Territory* _____

belongs to the Caste/Tribes _____ which is recognized as a
Scheduled Castes/Scheduled Tribes* under:-

The Constitution (Scheduled Castes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Tribes) order, 1950 _____
The Constitution (Scheduled Castes) Union Territories order, 1951 *
_____ The Constitution (Scheduled Tribes) Union Territories
Order, 1951* _____

As amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes
Lists(Modification) order, 1956, the Bombay Reorganization Act, 1960 & the
Punjab Reorganization Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act 1970, the
North-Eastern Area(Reorganization) Act, 1971 and the Scheduled Castes and
Scheduled Tribes Order(Amendment) Act, 1976.

The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 _____
The Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959
as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes order (Amendment
Act), 1976*.

The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes order 1962.
The Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order 1962@.
The Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order 1964@
The Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967 @
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968@
The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order 1968 @
The Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970 @
The Constitution (Sikkim) Scheduled Castes Order 1978@
The Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order 1978@
The Constitution (Jammu & Kashmir) Scheduled Tribes Order 1989@
The Constitution (SC) orders (Amendment) Act, 1990@
The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1991@
The Constitution (ST) orders (Second Amendment) Act, 1991@

The Constitution (ST) orders (Amendment) Ordinance 1996@
The Scheduled Caste and Scheduled Tribe Orders (Amendment) Act 2002@
The Constitution (Scheduled Caste) Orders(Amendment) Act 2002@
The Constitution(Scheduled Caste and Scheduled Tribe) Orders (Amendment) Act 2002@
The Constitution (Scheduled Caste) Order (Amendment) Act 2007@
%2. Applicable in the case of Scheduled Castes, Scheduled Tribes persons who have migrated from one State/Union Territory Administration.

This certificate is issued on the basis of the Scheduled Castes/ Scheduled Tribes certificate issued to Shri/Shrimati _____ Father/mother of Shri/Shrimati/Kumari* _____ of village/town* _____ in District/Division* _____ of the State/Union Territory* _____ who belong to the _____ Caste/Tribe which is recognized as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe in the State/Union Territory* issued by the _____ dated _____.

%3. Shri/Shrimati/Kumari and /or * his/her family ordinarily reside(s) in village/town* _____ of _____ District/Division* _____ of the State/Union Territory of _____

Signature _____

** Designation _____

(with seal of office)

Place _____

Date _____ 1950 _____ 2025

* Please delete the words which are not applicable

@ Please quote specific presidential order

% Delete the paragraph which is not applicable.

NOTE: The term ordinarily reside(s) used here will have the same meaning as in section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**** List of authorities empowered to issue Caste/Tribe Certificates:**

- (i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Dy.Collector/Ist Class Stipendiary Magistrate/Sub-Divisional Magistrate/Extra-Assistant Commissioner/Taluka Magistrate/Executive Magistrate.
- (ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.
- (iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.
- (iv) Sub-Divisional Officers of the area where the candidate and/or his family normally resides.

NOTE: ST candidates belonging to Tamil Nadu State should submit caste certificate ONLY FROM THE REVENUE DIVISIONAL OFFICER.

**(FORM OF CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY OTHER BACKWARD
CLASSES APPLYING FOR APPOINTMENT TO POSTS UNDER THE
GOVERNMENT OF INDIA)**

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter
of _____ of village/town _____ in
District/Division _____ in the State/Union Territory
_____ belongs to the _____ Community which
is recognized as a backward class under the Government of India, Ministry of
Social Justice and Empowerment's Resolution No. _____
dated _____. Shri/Smt./Kumari _____ and/or
his/her family ordinarily reside(s) in the _____ District/Division
of the _____ State/Union Territory. This is also to certify
that he/she does not belong to the persons/sections (Creamy Layer) mentioned
in Column 3 of the Schedule to the Government of India, Department of
Personnel & Training O.M. No. 36012/22/93-Estt (SCT) dated 8.9.1993**.

District Magistrate: _____

Deputy Commissioner etc.: _____

Dated: _____

Seal: _____

* The authority issuing the certificate may have to mention the details of
Resolution of Government of India, in which the caste of the candidate is
mentioned as OBC.

** As amended from time to time.

Note: The term "Ordinarily" used here will have the same meaning as in Section
20 of the Representation of the People Act, 1950.

Form of declaration to be submitted by the candidate (in addition to the community certificate)

I.....son/daughter of Shri.....resident of village/town/city.....districtState.....hereby declare that I belong to the,community which is recognized as a backward class by the Government of India for the purpose of reservation in services as per orders contained in Department of Personnel and Training Office Memorandum No. 36102/22/93-Estt(SCT) dated 8.09.1993. It is also declared that I have read and understood the instructions contained in the said DoP&T OM dated 8.09.1993, and OM No. 36033/1/2013-Estt.(Res.) dated 13.09.2017 and I have reasons to declare that I do not fall under OBC (Creamy Layer) category on the basis of income for the immediate preceding three financial years.

Signature.....

Full Name.....

Address.....



Government of

(Name & Address of the authority issuing the certificate)

**INCOME & ASSEST CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY ECONOMICALLY
WEAKER SECTIONS**

Certificate No. _____

Date _____

VALID FOR THE YEAR _____

This is to certify that Shri/Smt./Kumari _____ son/daughter/wife of _____ permanent resident of _____ Village/Street _____ PostOffice _____ District _____ i n the State/ Union Territory _____ PinCode _____ whose photograph is attested below belongs to Economically Weaker Sections, since the gross annual income* of his/ her 'family** is below Rs. 8 Lakh (Rupees Eight Lakh only) for the financial year _____ His/ her family does not own or possess any of the following assets ***:

- I. 5 acres of agricultural land and above;
- II. Residential flat of 1000 sq. ft. and above;
- III. Residential plot of 100 sq. yards and above in notified municipalities;
- IV. Residential plot of 200 sq. yards and above in areas other than the notified municipalities.

2. Shri/Smt./Kumari _____ belongs to the _____ caste which is not recognized as a Scheduled Caste, Scheduled Tribe and Other Backward Classes (Central List).

Signature with seal of Office _____

Name _____

Designation _____

Recent Passport
size attested
photograph of the
applicant

*Note 1: Income covered all sources i.e. salary, agriculture, business, profession etc.

** Note 2: The term 'Family' for this purpose include the person, who seeks benefit of reservation, his/ her parents and siblings below the age of 18 years as also his/her spouse and children below the age of 18 years.

***Note 3: The property held by a "Family" in different locations or different places/cities have been clubbed while applying the land or property holding test to determine EWS status.

Form-V
Certificate of Disability

(In cases of amputation or complete permanent paralysis of limbs or dwarfism and in case of blindness)

[See rule 18(1)]

(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport
size
attested photograph
(Showing face only) of
the person with

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri _____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____ years, male/female _____ registration No. _____ permanent resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State _____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of:

- locomotor disability
- dwarfism
- blindness

(Please tick as applicable)

(B) the diagnosis in his/her case is _____

(C) he/she has _____ % (in figure) _____ percent (in words) permanent locomotor disability/dwarfism/blindness in relation to his/her _____ (part of body) as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified).

2. The applicant has submitted the following document as proof of residence: -

Nature of Document	Date of Issue	Details of authority issuing certificate

(Signature and Seal of Authorised Signatory of
notified Medical Authority)

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour certificate
of disability is issued



Form – VI
Certificate of Disability
(In cases of multiple disabilities)
[See rule 18(1)]
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)

Recent passport
size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that we have carefully examined Shri/Smt./Kum.
_____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____ Age _____
years, male/female _____.

Registration No. _____ permanent resident of House No. _____
Ward/Village/Street _____ Post Office _____ District _____ State
_____, whose photograph is affixed above, and am satisfied that:

(A) he/she is a case of Multiple Disability. His/her extent of permanent physical impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified) for the disabilities ticked below, and is shown against the relevant disability in the table below:

Sl. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Dwarfism			
5.	Cerebral Palsy			
6.	Acid attack Victim			
7.	Low vision	#		
8.	Blindness	#		
9.	Deaf	£		
10.	Hard of Hearing	£		
11.	Speech and Language disability			
12.	Intellectual Disability			
13.	Specific Learning Disability			
14.	Autism Spectrum Disorder			
15.	Mental illness			
16.	Chronic Neurological			

	Conditions			
17.	Multiple sclerosis			
18.	Parkinson's disease			
19.	Haemophilia			
20.	Thalassemia			
21.	Sickle Cell Disease			

(B) In the light of the above, his/her over all permanent physical impairment as per guidelines (.....number and date of issue of the guidelines to be specified), is as follows:

In figures: - ----- percent

In words: - ----- percent

2. This condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve

3. Reassessment of disability is :

i. not necessary,

or

ii. is recommended/after years months, and therefore this certificate shall be valid till ---- ----

(DD) (MM) (YY)

@ e.g. Left/right/both arms/legs

e.g. Single eye

£ e.g. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

5. Signature and seal of the Medical Authority.

Name and Seal of Member	Name and Seal of Member	Name and Seal of Chairperson

Signature/thumb impression of the person in whose favour certificate of disability is issued.

Form – VII
Certificate of Disability
(In cases other than those mentioned in Forms V and VI)
(Name and Address of the Medical Authority issuing the Certificate)
(See rule 18(1))

Recent passport
size
attested photograph
(Showing face only)
of the person with

Certificate No. _____

Date: _____

This is to certify that I have carefully examined

Shri/Smt./Kum. _____ son/wife/daughter of Shri
_____ Date of Birth (DD/MM/YY) _____
Age _____ years, male/female _____ Registration No. _____ permanent
resident of House No. _____ Ward/Village/Street _____ Post Office
_____ District _____ State _____, whose
photograph is affixed above, and am satisfied that he/she is a case of
_____ disability. His/her extent of percentage physical
impairment/disability has been evaluated as per guidelines (.....number and date of
issue of the guidelines to be specified) and is shown against the relevant disability in the
table below:

S. No	Disability	Affected part of body	Diagnosis	Permanent physical impairment/mental disability (in %)
1.	Locomotor disability	@		
2.	Muscular Dystrophy			
3.	Leprosy cured			
4.	Cerebral Palsy			
5.	Acid attack Victim			
6.	Low vision	&		
7.	Deaf	€		
8.	Hard of Hearing	€		
9.	Speech and Language disability			
10.	Intellectual Disability			
11.	Specific Learning Disability			
12.	Autism Spectrum Disorder			
13.	Mental illness			
14.	Chronic Neurological Conditions			
15.	Multiple sclerosis			
16.	Parkinson's disease			
17.	Haemophilia			
18.	Thalassemia			
19.	Sickle Cell disease			

(Please strike out the disabilities which are not applicable)

2. The above condition is progressive/non-progressive/likely to improve/not likely to improve.

3. Reassessment of disability is:

(i) not necessary, or

(ii) is recommended/after _____ years _____ months, and therefore this certificate shall be valid till (DD/MM/YY) _____

@ - eg. Left/Right/both arms/legs

#- eg. Single eye/both eyes

€ - eg. Left/Right/both ears

4. The applicant has submitted the following document as proof of residence:

Nature of document	Date of issue	Details of authority issuing certificate

(Authorized Signatory of notified Medical Authority)

(Name and Seal)

Countersigned
{Countersignature and seal of the
Chief Medical Officer/Medical Superintendent/
Head of Government Hospital, in case the
Certificate is issued by a medical authority who is
not a Government servant (with seal)}

Signature/thumb
impression of the person
in whose favour
certificate of disability is
issued.

Note: In case this certificate is issued by a medical authority who is not a Government servant, it shall be valid only if countersigned by the Chief Medical Officer of the District

-

Certificate regarding physical limitation in an examinee to write

This is to certify that, I have examined Mr/Ms/Mrs.....(name of the candidate with disability), a person with.....(nature and percentage of disability as mentioned in the certificate of disability), S/o/ D/o.....a resident of Village/District/State) and to state that he/she has physical limitation which hampers his/her writing capabilities owing to his/her disability.

Signature

Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Medical Superintendent of a
Government health care institution

Name & Designation

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Note: Certificate should be given by a specialist of the relevant stream/disability (e.g. Visual Impairment-Ophthalmologist, Locomotor disability-Orthopaedic specialist/PMR)



Certificate for person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

This is to certify that, we have examined Mr/Ms/Mrs (name of the candidate), S/o /D/o, a resident of(Vill/PO/PS/District/State), aged yrs, a person with (nature of disability/condition), and to state that he/she has limitation which hampers his/her writing capability owing to his/her above condition. He/she requires support of scribe for writing the examination.

2. The above candidate uses aids and assistive device such as prosthetics & orthotics, hearing aid (name to be specified) which is /are essential for the candidate to appear at the examination with the assistance of scribe.

3. This certificate is issued only for the purpose of appearing in written examinations conducted by recruitment agencies as well as academic institutions and is valid upto _____ (it is valid for maximum period of six months or less as may be certified by the medical authority)

Signature of medical authority				
(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)	(Signature & Name)
Orthopaedic / PMR specialist	Clinical Psychologist/ Rehabilitation Psychologist/Psychiatrist / Special Educator	Neurologist(if available)	Occupational therapist (if available)	Other Expert, as nominated by the Chairperson(if any)
(Signature & Name)				
Chief Medical Officer/Civil Surgeon/Chief District Medical Officer.....Chairperson				

Name of Government Hospital/Health Care Centre with Seal

Place:

Date:

Letter of Undertaking for Using Own Scribe

I _____, a candidate with _____ (name of the disability) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the centre) in the District _____, _____ (name of the State/ UT) My qualification is _____

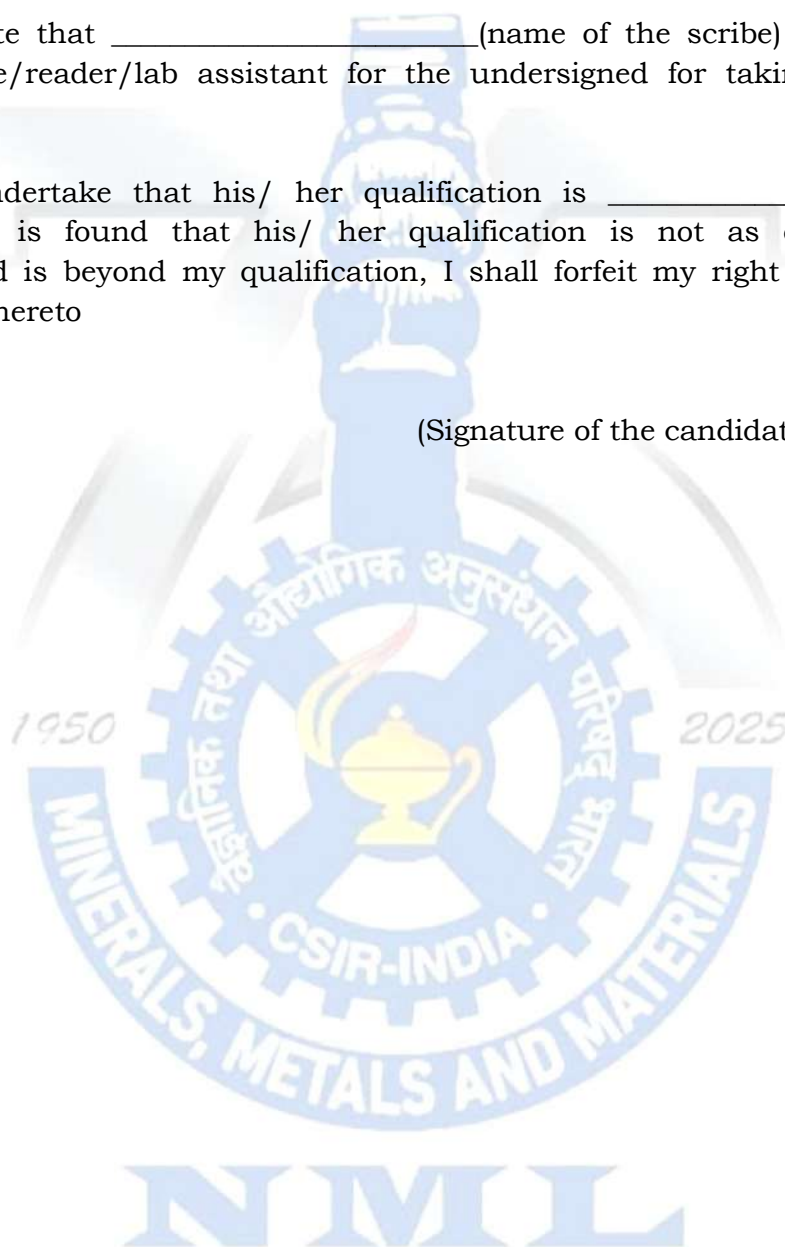
I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe/reader/lab assistant for the undersigned for taking the aforesaid examination

I do hereby undertake that his/ her qualification is _____. In case, subsequently it is found that his/ her qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification, I shall forfeit my right to the post and claims relating thereto

(Signature of the candidate with Disability)

Place:

Date:



Letter of Undertaking by the person with specified disability covered under the definition of Section 2 (s) of the RPwD Act, 2016 but not covered under the definition of Section 2(r) of the said Act, i.e. persons having less than 40% disability and having difficulty in writing

I _____, a candidate with _____ (nature of disability/condition) appearing for the _____ (name of the examination) bearing Roll No. _____ at _____ (name of the centre) in the District _____, _____ (name of the State). My educational qualification is _____.

2. I do hereby state that _____ (name of the scribe) will provide the service of scribe for the undersigned for taking the aforementioned examination.

3. I do hereby undertake that his qualification is _____. In case, subsequently it is found that his qualification is not as declared by the undersigned and is beyond my qualification. I shall forfeit my right to the post or certificate/diploma/degree and claims relating thereto.

(Signature of the candidate)

(Counter signature by the parent/guardian, if the candidate is minor)

Place:

Date:



**FORM OF MEDICAL CERTIFICATE TO BE PRODUCED BY THE PERSONS WITH
BENCHMARK DISABILITIES CANDIDATES WHO SEEK EXEMPTION FROM
APPEARING IN THE SKILL TEST TYPEWRITING TEST**

This is to certify that Sh./Smt./Kum _____ son/daughter/wife of
Shri _____ is suffering from _____.

Clinical diagnosis as a result of which he/ she has the following disabilities. (Brief
description of his/ her disabilities) -----

This is a permanent disability and the extent of his/ her disability works out to ____% of
disability.

This disability is likely to interfere with Typewriting (specify)

Signature of Civil Surgeon:

Name:

(Official Stamp)

Place:

Date:

Photograph of
candidate
clearly showing
face with
affected portion
of the body

Signature of candidate:

Name:

Roll No./Appl. No:

Annexure – VIII

Certificate for serving Defence Personnel

I hereby certify that, according to the information available with me (No.) _____ (Rank) _____ (Name) _____ is due to complete the specified term of his engagement with the Armed Forces on the (Date) _____.

(Signature of Commanding Officer)
Office Seal

Place:

Date:



UNDERTAKING TO BE GIVEN BY THE EX-SERVICEMEN

I, bearing Roll No....., appearing for the Document Verification of the Examination, 20....., do hereby undertake that:

- a. I am entitled to the benefits admissible to Ex-Servicemen in terms of the Ex-Servicemen Re-employment in Central Civil Services and Posts Rules, 1979, as amended from time to time.
- b. I have not joined the Government job on civil side (including Public Sector Undertakings, Autonomous Bodies/ Statutory Bodies, Nationalized Banks, etc.) in Group 'C' and 'D' posts on regular basis after availing of the benefits of reservation given to ex-serviceman for re-employment; or
- c. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of I hereby undertake that I have submitted the self-declaration/ undertaking to my current employer about date wise detail of the application for the above mentioned examination for which I had applied for before joining the present civil employment; or
- d. I have availed the benefit of reservation as ex-serviceman for securing Government job on civil side. I have joined ason..... in the office of Therefore, I am eligible for age-relaxation only;

I hereby declare that the above statements are true, complete and correct to the best of my knowledge and belief. I understand that in the event of any information being found false or incorrect at any stage, my candidature/ appointment is liable to be cancelled/ terminated.

Signature:

Name:

Roll Number:

Date:

Date of appointment in Armed Forces:

Date of Discharge:

Last Unit/ Corps:

Mobile Number:

Email ID:



सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला
(बर्मागाँव, जमशेदपुर, झारखंड-831007)
वेबसाइट- <https://www.nml.res.in>
हेल्पलाइन: फोन: 0657-2345158
ईमेल: recruitment2025@admn.nml.in



भर्ती विज्ञापन संख्या : 07/2025

कनिष्ठ आशुलिपिक पद हेतु भर्ती

ऑनलाइन आवेदन आरंभ होने की तिथि: 01.12.2025 {11:00 बजे (भारतीय मानक समय) से;
ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि: 31.12.2025 {23:00 बजे (भारतीय मानक समय) तक}

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. का प्रयास है कि ऐसा कार्यबल हो जो लैंगिक संतुलन को प्रतिबिंबित करे और महिला उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए।

सी.एस.आई.आर.-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला (एन.एम.एल.), वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सी.एस.आई.आर.) की एक घटक प्रयोगशाला है, जो भारत सरकार के विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त निकाय है, यह धातुकर्म तथा पदार्थ अभियांत्रिकी अनुसंधान के लिए समर्पित एक अनुसंधान एवं विकास संगठन है। अपने आधुनिक एवं व्यापक अवसंरचना तथा वैज्ञानिक एवं तकनीकी जनशक्ति की बहुआयामी विशेषज्ञता के साथ, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. मुख्य रूप से राष्ट्रीय हित और उच्च गुणवत्ता वाले विज्ञान के प्रदर्शन के साथ औद्योगिक और सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण अनुसंधान गतिविधियों में लगा हुआ है।

सीएसआईआर-राष्ट्रीय धातुकर्म प्रयोगशाला, योग्य एवं इच्छुक भारतीय नागरिकों से कनिष्ठ आशुलिपिक के पद पर 5 (पाँच) रिक्तियों [अनारक्षित - 02; ईडब्ल्यूएस - 01; अनुसूचित जाति - 01; अनुसूचित जनजाति - 01] को भरने हेतु आवेदन आमंत्रित करती है। यह पद वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 में सम्मिलित है तथा समूह 'ग' (अराजपत्रित) के अंतर्गत आता है। विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:

पोस्ट कोड	पद का नाम	पदों की संख्या एवं आरक्षण	केन्द्रीय वेतन आयोग के अनुसार वेतनमान	आवश्यक योग्यताएं	*ऊपरी आयु सीमा
जे 01	कनिष्ठ आशुलिपिक	पदों की संख्या: 05 [अनारक्षित: 02; ईडब्ल्यूएस: 01; अनुसूचित जाति: 01; अनुसूचित जनजाति: 01]	लेवल-4 [रु. 25,500-81,100] (कुल पारिश्रमिक: रु.48,000/-प्रतिमाह [लगभग])**	10+2/XII या इसके समकक्ष और समय-समय पर डी.ओ.पी.टी. द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आशुलिपि में दक्षता	27 वर्ष
प्रयुक्त संक्षिप्त रूप: अना.- अनारक्षित, ईडब्ल्यूएस- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग, अ.जा.- अनुसूचित जाति, अ.ज.जा.- अनुसूचित जनजाति, डीओपीटी : कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार।					
कनिष्ठ आशुलिपिक के 05 पदों में से एक पद पीडब्ल्यूबीडी उम्मीदवारों के लिए श्रेणी 'क' [बी-ब्लाइंड]/एलवी-लो विजन के तहत आरक्षित है।					
नोट: प्रत्येक पोस्ट कोड के सामने दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या अनंतिम है तथा इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है।					

अ.जा./ अ.ज.जा./अ.पि.व./ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी स्थिति या किसी अन्य लाभ जैसे शुल्क रियायत, आरक्षण आयु-छूट के दावे के लिए, साथ ही आयु, योग्यता और अनुभव आदि का निर्धारण, जहां अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया गया है, महत्वपूर्ण तिथि ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि होगी।

*कृपया विभिन्न श्रेणियों के उम्मीदवारों को आयु में छूट के लिए छूट देखें।

**कुल परिलब्धियों का तात्पर्य न्यूनतम वेतनमान पर प्रतिमाह अनुमानित कुल परिलब्धियों से है, जिसमें नियमानुसार 'वाई' श्रेणी के शहर में स्वीकार्य मकान किराया भत्ता, परिवहन भत्ता भी शामिल है।

1. आवश्यक योग्यता(एं):

10+2/XII या इसके समकक्ष तथा समय-समय पर कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार आशुलिपि में दक्षता।

2. चयन प्रक्रिया:

सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. के निदेशक द्वारा विधिवत गठित एक समिति इस विज्ञापन की योग्यता, नियम और शर्तों को पूरा करने वाले उम्मीदवारों को शॉर्टलिस्ट करेगी। हालाँकि, विस्तृत जाँच केवल अंतिम चयन के समय ही की जाएगी।

चयन प्रतियोगी लिखित परीक्षा और आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा की मेधा सूची के आधार पर किया जाएगा जो कि अर्हक प्रकृति की है। लिखित परीक्षा की योजना का विवरण नीचे दिया गया है:

2.1. कनिष्ठ आशुलिपिक के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा की योजना:

परीक्षा का तरीका	ओ.एम.आर. आधारित या कंप्यूटर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रकार बहुविकल्पीय परीक्षा
प्रश्नों का माध्यम	अंग्रेजी भाषा के प्रश्नों को छोड़कर प्रश्न अंग्रेजी और हिंदी दोनों में पूछे जाएंगे
परीक्षा का स्तर	10+2 / बारहवीं
प्रश्नों की कुल संख्या	200
कुल आवंटित समय	2 घंटे (सहायक लेखक/स्क्राइब के लिए पात्र दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए 2 घंटे 40 मिनट)

2.2. कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए प्रतियोगी लिखित परीक्षा में केवल एक पेपर होगा, जिसके तीन भाग होंगे, जिनका विवरण नीचे दिया गया है:

भाग	विषय	प्रश्नों की संख्या	अधिकतम अंक	नकारात्मक अंक
I	सामान्य बुद्धि एवं तर्क	50	50	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे
II	सामान्य जागरूकता	50	50	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे
III	अंग्रेजी भाषा और समझ	100	100	प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.25 अंक काटे जाएंगे

2.3. आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा:

कनिष्ठ आशुलिपिक के पद के लिए उम्मीदवारों को अंग्रेजी या हिंदी (जैसा कि उम्मीदवारों ने अपने आवेदन पत्र में चुना है) में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से 10 मिनट का एक डिक्टेशन/श्रुतलेख दिया जाएगा। प्रतिलेखन का समय इस प्रकार है:

क्र. सं.	कौशल परीक्षण की भाषा	समय अवधि (मिनटों में)	स्क्राइब लेखन के लिए पात्र विकलांग अभ्यर्थियों के लिए समय अवधि (मिनटों में)
1.	अंग्रेज़ी	50	70
2.	हिन्दी	65	90

2.4. मेधा सूची का निर्धारण:

- आशुलिपि में दक्षता केवल अर्हक प्रकृति की होगी।
- अंतिम मेधा सूची प्रतियोगी लिखित परीक्षा में अभ्यर्थियों के प्रदर्शन के आधार पर तैयार की जाएगी।
- मेधा सूची में केवल वे अभ्यर्थी शामिल होंगे जिन्होंने आशुलिपि में दक्षता परीक्षा उत्तीर्ण की है।

2.5. प्रतियोगी लिखित परीक्षा और आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा आयोजित करने का क्रम/अनुक्रम: आशुलिपि में प्रवीणता परीक्षा के बाद प्रतियोगी लिखित परीक्षा या इसके विपरीत आयोजित करने का क्रम/अनुक्रम चयन समिति द्वारा तय किया जाएगा और इससे संबंधित सभी जानकारी सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. की वेबसाइट के माध्यम से अधिसूचित किया जाएगा।

2.6. कनिष्ठ आशुलिपिक पद के लिए, यदि दो या अधिक अभ्यर्थियों के कुल अंक समान हों, तो अंकों की समानता (Tie) की स्थिति में वरीयता निर्धारण की प्रक्रिया निम्नलिखित होगी:

- प्रतियोगी लिखित परीक्षा में जिस अभ्यर्थी के ऋणात्मक (नकारात्मक) अंक कम होंगे, उसे उच्च वरीयता दी जाएगी।
- यदि समानता बनी रहती है, तो आयु में बड़े (ज्येष्ठ) अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी।
- यदि समानता फिर भी बनी रहती है, तो न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता पहले प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को उच्च स्थान दिया जाएगा।
- यदि समानता उपर्युक्त सभी आधारों पर बनी रहती है, तो अभ्यर्थियों के प्रथम नाम के वर्णक्रम (Alphabetical Order) के अनुसार वरीयता निर्धारित की जाएगी।

सामान्य जानकारी एवं शर्तें

1. परिषद् सेवा के अंतर्गत लाभ:

- सभी नव-नियुक्त अभ्यर्थी 'नई पेंशन योजना' (New Pension Scheme) के प्रावधानों के अंतर्गत ही आच्छादित होंगे। यह परिभाषित अंशदान आधारित पेंशन व्यवस्था है, जो 01.01.2004 या उसके पश्चात् केंद्र सरकार की सेवाओं में नियुक्त सभी कर्मियों पर लागू है तथा जिसे सीएसआईआर द्वारा अपने कर्मचारियों हेतु विधिवत् अपनाया गया है। अन्य सरकारी विभागों, स्वायत्त निकायों, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों से चयनित अभ्यर्थियों के संबंध में, भारत सरकार की प्रचलित पेंशन योजना के अंतर्गत सीएसआईआर/सीएसआईआर-एनएमएल में पेंशन (यदि देय हो) का प्रावधान सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 (संशोधित-2021) के अनुरूप विनियमित किया जाएगा।
- इस पद के साथ केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए प्रचलित सामान्य भत्ते-जैसे महंगाई भत्ता (DA), आवास किराया भत्ता (HRA), परिवहन भत्ता (TA) आदि-सीएसआईआर के लिए लागू प्रावधानों के अनुसार देय होंगे। परिषद् के कर्मचारी, उपलब्धता के आधार पर, सीएसआईआर आवास आवंटन नियमावली-2022 के अनुरूप अपनी निर्धारित श्रेणी के आवास हेतु भी पात्र होंगे; ऐसी स्थिति में आवास किराया भत्ता (HRA) देय नहीं होगा। इसके अतिरिक्त, यदि निदेशक, सीएसआईआर-एनएमएल आवश्यक समझते हैं, तो संबंधित पदाधिकारी को अनिवार्य रूप से सीएसआईआर-एनएमएल स्टाफ क्वार्टर में निवास करना होगा।

- C. ऊपर दर्शाई गई परिलब्धियों के अतिरिक्त, सी.एस.आई.आर. के नियमों के अनुसार चिकित्सा व्यय की प्रतिपूर्ति, अवकाश यात्रा रियायत, कंप्यूटर अग्रिम और गृह निर्माण अग्रिम जैसे लाभ भी उपलब्ध हैं।
- D. सामान्य नियुक्ति का स्थान सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल., जमशेदपुर है, जिसमें चेन्नई में स्थित इसका केंद्र भी शामिल है। हालांकि, नियुक्त व्यक्ति को सक्षम प्राधिकरण के विवेकानुसार सी.एस.आई.आर. की किसी भी प्रयोगशाला/संस्थान, उनके फील्ड सेंटर्स/क्षेत्रीय केंद्रों के किसी भी अनुभाग/प्रभाग में, भारत के किसी भी भाग में कार्य के लिए तैनात किया जा सकता है।
- E. सी.एस.आई.आर. समय-समय पर संशोधित सी.एस.आई.आर. प्रशासनिक सेवा (भर्ती एवं पदोन्नति) नियम, 2020 के प्रावधानों के अंतर्गत कैरियर पदोन्नति के अवसर प्रदान करता है।
- F. पद पर नियुक्ति समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964, केन्द्रीय सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1965 तथा अन्य सेवा नियमों के प्रावधानों द्वारा नियंत्रित होगी, जो परिषद् सेवक पर लागू होंगे तथा उनकी प्रयोज्यता के संबंध में सी.एस.आई.आर. का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा।

2. अन्य शर्तें :

- A. आवेदक भारत का नागरिक होना चाहिए।
- B. सभी आवेदकों के पास पद के लिए आवश्यक योग्यता होनी चाहिए तथा विज्ञापन में निर्धारित अन्य शर्तें पूरी करनी चाहिए। उन्हें सलाह दी जाती है कि आवेदन करने से पहले वे स्वयं को संतुष्ट कर लें कि उनके पास पद के लिए निर्धारित न्यूनतम आवश्यक योग्यताएं हैं, जो कि अनिवार्य हैं, भले ही उम्मीदवार के पास कुछ अन्य उच्च योग्यताएं हों। **पात्रता से संबंधित किसी भी प्रकार की पूछताछ पर विचार नहीं किया जाएगा।**
- C. अभ्यर्थी को आवेदन में संबंधित क्षेत्र में सभी योग्यताएं और अनुभव (यदि कोई हो) का उल्लेख करना चाहिए तथा दस्तावेजों के साथ यह सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी विवरण पूर्ण और सटीक हैं।
- D. सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. को इस विज्ञापन में नियम व शर्तों को संशोधित करने, हटाने या जोड़ने का अधिकार है।
- E. समकक्ष खंड के संबंध में, यदि कोई उम्मीदवार विज्ञापन की आवश्यकता के अनुसार किसी विशेष योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है, तो उम्मीदवार को इस संबंध में आदेश/पत्र प्रस्तुत करना होगा, जिसमें उस प्राधिकरण का उल्लेख हो (संख्या और दिनांक के साथ) जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है अन्यथा आवेदन अस्वीकार कर दिया जाएगा। योग्यता(ओं) की समतुल्यता और विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों/परिषदों की मान्यता के संबंध में सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल./सी.एस.आई.आर. का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।
- F. यदि प्रस्तुत किया जाने वाला कोई भी दस्तावेज/प्रमाणपत्र हिन्दी या अंग्रेज़ी के अतिरिक्त किसी अन्य भाषा में हो, तो उसकी विधिवत प्रमाणित प्रतिलिपि (ट्रांसक्रिप्ट) जिसे किसी राजपत्रित अधिकारी अथवा नोटरी द्वारा सत्यापित किया गया हो, अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करनी होगी।
- G. ऑनलाइन आवेदन में उम्मीदवार द्वारा भरी गई जन्मतिथि मैट्रिकुलेशन/माध्यमिक विद्यालय प्रमाणपत्र में दर्ज तिथि से मेल खानी चाहिए। जन्मतिथि में बदलाव के लिए बाद में किए गए अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा।
- H. अभ्यर्थी को लिखित परीक्षा और/या प्रवीणता परीक्षा में बैठने के लिए किसी भी यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते का भुगतान नहीं किया जाएगा।

- I. पात्रता, आवेदनों की स्वीकृति या अस्वीकृति, चयन और परीक्षा के संचालन का तरीका, परीक्षा का स्थान आदि से संबंधित सभी मामलों में सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल./सी.एस.आई.आर. का निर्णय अंतिम होगा और उम्मीदवारों पर बाध्यकारी होगा। उम्मीदवार की ओर से किसी भी व्यक्ति या एजेंसी से इस संबंध में कोई पूछताछ या पत्राचार स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- J. किसी भी प्रकार की अनुशंसा करना अथवा राजनीतिक या अन्य किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना, संबंधित पद के लिए अयोग्यता माना जाएगा।
- K. निदेशक, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. बिना कोई कारण बताए विज्ञापन को रद्द करने या आवश्यकता पड़ने पर पद न भरने का अधिकार सुरक्षित रखते हैं। ऊपर दर्शाई गई रिक्तियों की संख्या भिन्न हो सकती है, अर्थात वास्तविक चयन के समय इसमें वृद्धि या कमी हो सकती है। चयन प्रक्रिया सी.एस.आई.आर./भारत सरकार के निर्देशों के अधीन है जो चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी निश्चित समय पर लागू होते हैं।
- L. चयनित अभ्यर्थी पद का कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से **दो वर्ष के लिए परीक्षा** पर रहेगा। सक्षम प्राधिकारी के विवेकानुसार परीक्षा अवधि को बढ़ाया या घटाया जा सकता है।
- M. आवेदकों को आवेदन पत्र में यह बताना होगा कि क्या उनका कोई करीबी या रक्त संबंधी सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. या सी.एस.आई.आर. या सी.एस.आई.आर. की किसी अन्य प्रयोगशाला/संस्थान का कर्मचारी है।
- N. अयोग्यताएं: कोई भी व्यक्ति, (क) जिसने ऐसे व्यक्ति के साथ विवाह किया है, जिसका पति या पत्नी जीवित हैं, या (ख) जिसने अपने पति या पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति के साथ विवाह किया है, परिषद सेवा में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा, बशर्ते कि यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकती है।
- O. अनंतिम उम्मीदवारी: इस विज्ञापन के तहत पद के लिए आवेदन करने मात्र से यह आवश्यक नहीं है कि आपका चयन स्पष्ट रूप से या निहित रूप से हो गया है। प्रतियोगी लिखित परीक्षा और प्रवीणता परीक्षा के लिए उम्मीदवारी केवल अनंतिम रूप से स्वीकार की जाएगी। चयन प्रक्रिया के सभी नियमों और शर्तों को पूरा करने और चयन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों के दौरान किसी निश्चित समय पर प्रचलित सभी सी.एस.आई.आर./भारत सरकार के निर्देशों को संतुष्ट करने के अधीन चयन होगा।
- P. इस विज्ञापन से संबंधित कोई भी अन्य जानकारी जैसे परीक्षा की तिथि, समय और स्थान, परिशिष्ट/शुद्धिपत्र या पदों की संख्या में कोई परिवर्तन/पदों का रद्दीकरण आदि केवल सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. वेबसाइट <https://nml.res.in> के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा। इसलिए, उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे नियमित रूप से वेबसाइट <https://nml.res.in> देखते रहें।
- Q. इस विज्ञापन के हिन्दी संस्करण एवं अंग्रेजी संस्करण में किसी भी प्रकार का अंतर होने पर अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।
- R. किसी भी अंतरिम जांच या पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा।
- 3. आयु सीमा एवं छूट:**
- A.** कनिष्ठ आशुलिपिक पद के लिए आयु सीमा 18-27 वर्ष है।

B. भारत सरकार के आदेशों के अनुसार, केवल उन मामलों में जहां पद संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित है, ऊपरी आयु सीमा में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए 5 वर्ष और अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए 03 वर्ष की छूट दी जा सकती है, बशर्ते कि निर्धारित प्रारूप में निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रासंगिक प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाए। अन्य पिछड़ा वर्ग (एनसीएल) के लिए प्रारूप/घोषणा (अनुलग्नक-II और IIA); अनुसूचित जाति; अनुसूचित जनजाति (अनुलग्नक-I)]

C. सी.एस.आई.आर. विभागीय उम्मीदवारों के लिए कोई आयु सीमा नहीं है, बशर्ते उनके पास निर्धारित योग्यता हो। सी.एस.आई.आर. विभागीय उम्मीदवारों का मतलब केवल स्थायी सी.एस.आई.आर. कर्मचारी हैं, न कि अस्थायी/अनुबंधित/परियोजना कर्मचारी आदि।

D. विधवाओं, तलाकशुदा महिलाओं और पति से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाएँ जो पुनर्विवाहित नहीं हैं, के लिए आयु में छूट: ऊपरी आयु सीमा 35 वर्ष की आयु तक छूट योग्य है (अ.जा./अ.ज.जा. के सदस्यों के लिए आरक्षित पदों के संबंध में 40 वर्ष तक)। इस उपखंड के तहत आयु में छूट का दावा करने वाले व्यक्तियों को ऑनलाइन आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे:

- विधवा के मामले में: उसके पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा एक शपथ पत्र कि उसने उसके बाद से पुनर्विवाह नहीं किया है;
- तलाकशुदा महिलाओं और अपने पतियों से न्यायिक रूप से अलग हुई महिलाओं के मामले में: तलाक या न्यायिक पृथक्करण के तथ्य को साबित करने के लिए उपयुक्त न्यायालय के निर्णय/डिक्री की प्रमाणित प्रति, जैसा भी मामला हो, तलाकशुदा महिलाओं के संबंध में एक शपथपत्र के साथ कि उन्होंने तब से पुनर्विवाह नहीं किया है।

E. मानक दिव्यांगजन (PwBD) हेतु रियायतें / छूट

1. मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों (पीडब्ल्यूबीडी) के लिए आयु में छूट: ऊपरी आयु सीमा में 10 वर्ष की छूट (अ.जा./अ.ज.जा. के लिए 15 वर्ष और ओबीसी (एनसीएल) उम्मीदवारों के लिए 13 वर्ष, केवल उन मामलों में जहां पद संबंधित श्रेणियों के लिए आरक्षित है) उन व्यक्तियों को दी जाएगी जो (क) दृष्टिबाधित या कम दृष्टि (स) बधिर और सुनने में कठिनाई (ग) मस्तिष्क पक्षाघात, कुष्ठ रोग, बौनापन, एसिड अटैक पीड़ितों और मांसपेशी डिस्ट्रॉफी सहित चलने-फिरने में अक्षमता (घ) ऑटिज्म, बौद्धिक अक्षमता, विशिष्ट सीखने की अक्षमता और मानसिक बीमारी; (ड) श्रवण-बाधित-दृष्टिबाधित सहित खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों में से एकाधिक विकलांगता से पीड़ित हैं। विकलांग व्यक्तियों को आयु में रियायत इस तथ्य पर ध्यान दिए बिना स्वीकार्य होगी कि पद मानक दिव्यांगता वाले व्यक्ति के लिए आरक्षित है या नहीं। किसी भी मामले में, इन उम्मीदवारों की नियुक्ति भारत सरकार / सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. / सी.एस.आई.आर. द्वारा प्रत्येक व्यक्तिगत पद के लिए निर्धारित चिकित्सा योग्यता के मानकों के अनुसार चिकित्सकीय रूप से योग्य पाए जाने के अधीन होगी। [पीडब्ल्यूबीडी प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप (अनुलग्नक- IV, IVA और IVB)]

2. सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. सामाजिक न्याय मंत्रालय के दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग द्वारा जारी अधिसूचना संख्या 38-16/2020-डीडी-III दिनांक 04.01.2021 के अनुसार दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत विभिन्न मानक दिव्यांगताओं के लिए पदों की उपयुक्तता पर विचार करेगा:

पद का नाम	कार्यात्मक आवश्यकता	मानक दिव्यांगता की उपयुक्त श्रेणी
कनिष्ठ आशुलिपिक	एस, एसटी, डब्ल्यू, बीएन, आरडब्ल्यू, एसई, एच, सी, एमएफ	a. बी, एलवी b. एचएच c. ओए, ओएल, बीएल, ओएएल, सीपी, एलसी, डीडब्ल्यू, एएवी, एमडीवाई d. एसडी (एम, एमओडी), आईडी, एसएलडी, एमआई e. उपर्युक्त (a) से (e) तक के एमडी

प्रयुक्त संक्षिप्तीकरणः

शारीरिक विकलांगता की प्रकृति: बी=दृष्टिबाधित, एलवी=कम दृष्टि, डी=श्रवण-बाधित, एचएच=सुनने में कठिनाई, ओए=एक हाथ, ओएल=एक पैर, बीए=दोनों हाथ, बीएल=दोनों पैर, ओएएल=एक हाथ और एक पैर, सीपी=सेरेब्रल पाल्सी, एलसी=कुष्ठ रोग ठीक हो चुका है, डीडब्ल्यू=बौनापन, एएवी=एसिड अटैक पीड़ित, एमडीवाई=मांसपेशियों की दुर्बलता, एएसडी=ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार (एम=हल्का, एमओडी=मध्यम), आईडी=बौद्धिक विकलांगता, एसएलडी=विशिष्ट सीखने की विकलांगता, एमआई=मानसिक बीमारी, एमडी=एकाधिक विकलांगता

शारीरिक आवश्यकताएँ: एस=बैठना, एसटी=खड़े होना, डब्ल्यू=चलना, बीएन=झुकना, एमएफ=उंगलियों से संचालन, आरडब्ल्यू=पढ़ना और लिखना, एसई=देखना, एच=सुनना, सी=संचार।

3. प्रतिपूरक समय और सहायक लेखक/स्क्राइब का प्रावधानः

- 3.1 दृष्टिबाधित, चलने-फिरने में अक्षमता (दोनों हाथ प्रभावित-बीए) और मस्तिष्क पक्षाघात की श्रेणी में मानक दिव्यांगता (पीडब्ल्यूबीडी) वाले व्यक्तियों के मामले में, यदि उम्मीदवार चाहें तो सहायक लेखक/स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाती है।
- 3.2 मानक दिव्यांगता वाले व्यक्तियों की शेष श्रेणियों के मामले में, परीक्षा के समय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर सहायक लेखक/स्क्राइब का प्रावधान प्रदान किया जाएगा, जिसमें संबंधित व्यक्ति को लिखने में शारीरिक सीमा है, और उसकी ओर से परीक्षा लिखने के लिए सहायक लेखक/स्क्राइब आवश्यक है, यह प्रमाण पत्र मुख्य चिकित्सा अधिकारी / सिविल सर्जन / सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान के चिकित्सा अधीक्षक द्वारा **अनुलग्नक-V में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार प्रस्तुत किया जाएगा।**
- 3.3 दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 10.08.2022 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 29-6/2019-DD-II के अनुसार 40% से कम दिव्यांगता वाले तथा लिखने में कठिनाई वाले दिव्यांग उम्मीदवारों को भी सहायक लेखक/स्क्राइब की सुविधा प्रदान की जाएगी। **अनुलग्नक-VA के अनुसार प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर यह सुविधा प्रदान की जाएगी।**
- 3.4 दिव्यांग उम्मीदवारों को सहायक लेखक/स्क्राइब/गद्यांश पाठक (पैसेज रीडर) की सुविधा केवल तभी प्रदान की जाएगी जब वह इस संबंध में ई-मेल आईडी recruitment2025@admn.nml.in पर ई-मेल लिखेंगे। (लिखित परीक्षा की तिथि से 15 (पंद्रह) दिन पूर्व।)
- 3.5 अभ्यर्थियों को अपने लिए स्वयं सहायक लेखक/स्क्राइब चुनने अथवा सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा उपलब्ध कराई गई सहायक लेखक/स्क्राइब सुविधा का लाभ उठाने का विवेकाधिकार होगा।
- 3.6 यदि उम्मीदवार अपना स्वयं का सहायक लेखक/स्क्राइब चुनता है, तो सहायक लेखक/स्क्राइब की योग्यता परीक्षा देने वाले उम्मीदवार की योग्यता से एक कदम नीचे होनी चाहिए। मानक दिव्यांगता (PwBD) वाले उम्मीदवारों को स्वयं का सहायक लेखक/स्क्राइब चुनने पर **अनुलग्नक-VI में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार परीक्षा के समय स्वयं के सहायक लेखक/स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा।**
- 3.7 खंड 3.3 के अनुसार सहायक लेखक/स्क्राइब के लिए पात्र दिव्यांग उम्मीदवार (PwD) और स्वयं सहायक लेखक/स्क्राइब का विकल्प चुनने वाले उम्मीदवारों को परीक्षा के समय **अनुलग्नक-VIA में दिए गए प्रोफार्मा के अनुसार स्वयं के सहायक लेखक/स्क्राइब का विवरण प्रस्तुत करना होगा।** इसके अलावा, सहायक लेखक/स्क्राइब को परीक्षा के समय मूल रूप में वैध पहचान पत्र प्रस्तुत करना होगा।

- 3.8 उम्मीदवार और सहायक लेखक/स्क्राइब द्वारा हस्ताक्षरित पहचान पत्र की फोटोकॉपी अनुलग्नक-VI / अनुलग्नक-VIA में दिए गए प्रोफार्मा के साथ जमा की जाएगी। यदि बाद में यह पाया जाता है कि सहायक लेखक/स्क्राइब की योग्यता उम्मीदवार द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है, तो उम्मीदवार पद पर अपना अधिकार और उससे संबंधित दावे खो देगा।
- 3.9 यदि कोई उम्मीदवार अपना स्वयं का सहायक लेखक/स्क्राइब चुनता है, तो उस स्थिति में, वह सहायक लेखक/स्क्राइब इस परीक्षा का उम्मीदवार नहीं होना चाहिए। यदि कोई उम्मीदवार इस परीक्षा में किसी अन्य PwBD/PwD उम्मीदवार की सहायक लेखक/स्क्राइब के रूप में सहायता करता पाया जाता है, तो दोनों उम्मीदवारों की उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 3.10 जिन व्यक्तियों को सहायक लेखक/स्क्राइब के उपयोग की अनुमति दी गई है, उन्हें परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय प्रदान किया जाएगा, जैसा कि ऊपर पैरा 3.1, 3.2 और 3.3 में वर्णित है।
- 3.11 उपर्युक्त खंड 3.1, 3.2 और 3.3 में उल्लिखित उम्मीदवार जो सहायक लेखक/स्क्राइब का उपयोग करने के लिए पात्र हैं, लेकिन सहायक लेखक/स्क्राइब की सुविधा का लाभ नहीं उठाने वाले अभ्यर्थियों को भी परीक्षा के प्रति घंटे 20 मिनट का अतिरिक्त समय दिया जाएगा।
- 3.12 पात्र अभ्यर्थियों के लिए सहायक लेखक/स्क्राइब के अलावा किसी अन्य परिचारक को परीक्षा हॉल के अंदर प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- 3.13 एक आँख वाले उम्मीदवार और आंशिक रूप से अंधे उम्मीदवार जो सामान्य प्रश्न पत्र को आवर्धक लेंस के साथ या उसके बिना पढ़ने में सक्षम हैं और जो आवर्धक लेंस की मदद से उत्तर लिखना / इंगित करना चाहते हैं, उन्हें परीक्षा हॉल में इसका उपयोग करने की अनुमति दी जाएगी और उन्हें सहायक लेखक/स्क्राइब की आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे उम्मीदवारों को परीक्षा हॉल में अपना आवर्धक लेंस लाना होगा।
- 3.14 जिन दिव्यांग उम्मीदवारों ने सहायक लेखक/स्क्राइब/गद्यांश पाठक (पैसेज रीडर) और/या प्रतिपूरक समय की सुविधा का लाभ उठाया है, उन्हें परीक्षा के समय और दस्तावेज़ सत्यापन के समय सहायक लेखक/स्क्राइब/प्रतिपूरक समय की पात्रता के लिए प्रासंगिक दस्तावेज़ प्रस्तुत करने होंगे। ऐसे सहायक दस्तावेज़ प्रस्तुत न करने पर उम्मीदवारी रद्द कर दी जाएगी।
- 3.15 दिव्यांगजन (पीडबल्यूबीडी) श्रेणी के अभ्यर्थियों को अपनी पात्रता के अनुसार, अनुलग्नक-IV से IVB में निर्दिष्ट प्रपत्र में जारी प्रासंगिक प्रमाणपत्र संलग्न करना अनिवार्य है।

F. भूतपूर्व सैनिकों के मामले में रियायत/छूट

1. भूतपूर्व सैनिकों को ऊपरी आयु सीमा में छूट उपलब्ध है : ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को वास्तविक आयु में से सैन्य सेवा की अवधि घटाने के पश्चात 03 वर्ष।
2. जिन भूतपूर्व सैनिकों ने अपनी पुनर्नियुक्ति के लिए भूतपूर्व सैनिकों को दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के पश्चात नियमित आधार पर सरकार के अधीन ग्रुप ग एवं/या घ पदों पर सिविल सेवा में रोजगार प्राप्त कर लिया है, वे ईएसएम श्रेणी में आरक्षण और शुल्क रियायत के लिए पात्र नहीं हैं।
3. हालांकि, ऐसे अभ्यर्थी आगामी रोजगार के लिए भूतपूर्व सैनिक के रूप में आरक्षण का लाभ उठा सकते हैं, यदि उन्होंने नागरिक रोजगार में शामिल होने के तुरंत बाद, विभिन्न रिक्तियों के लिए आवेदनों के तिथिवार विवरण के बारे में संबंधित नियोक्ता को स्व-घोषणा/वचन दिया है, जिसके लिए उन्होंने प्रारंभिक नागरिक रोजगार में शामिल होने से पहले आवेदन किया था, जैसा कि

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग द्वारा जारी कार्यालय ज्ञापन संख्या 36034/1/2014-स्था. (Res.) (दिनांक 14 अगस्त 2014) में उल्लिखित है।

4. सशस्त्र बलों में भूतपूर्व सैनिक की "कॉल-अप सेवा" की अवधि को भी नियमों के अनुसार आयु में छूट के प्रयोजनार्थ सशस्त्र बलों में प्रदान की गई सेवा के रूप में माना जाएगा।
5. आरक्षण का लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूतपूर्व सैनिक माने जाने के लिए संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक को पद/सेवा के लिए आवेदन प्रस्तुत करने के प्रासंगिक समय पर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा प्राप्त कर लेना चाहिए अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा अपनी अर्जित पात्रता को सिद्ध करने की स्थिति में हो कि वह आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं में सेवा की निर्दिष्ट अवधि पूरी कर लेगा। ऐसे उम्मीदवारों को आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष की निर्धारित अवधि के भीतर भूतपूर्व सैनिक का दर्जा भी प्राप्त कर लेना चाहिए।
6. भूतपूर्व सैनिक शब्द उन व्यक्तियों पर लागू होगा जिन्हें भूतपूर्व सैनिक (सिविल सेवा और पदों में पुनः रोजगार) नियम, 1979 में भूतपूर्व सैनिकों के रूप में परिभाषित किया गया है, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया गया है और सरकार द्वारा जारी निर्देशों में डी.ओ.पी.टी. का कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/3/2021-स्था. (Res. II) दिनांक 27.02.2023, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नानुसार प्रावधान करता है: - "सशस्त्र बलों में कार्यरत उम्मीदवार सिविल पदों पर आवेदन करने के लिए तभी पात्र होंगे जब वह सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विशेष भर्ती/परीक्षा आदि के संबंध में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के भीतर सशस्त्र बल सेवा की निर्धारित अवधि पूरी कर लेंगे। बशर्ते, जब चयन प्रक्रिया आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष से अधिक समय लेती है, तो उम्मीदवार को केवल इस आधार पर भूतपूर्व सैनिक श्रेणी के तहत अपात्र घोषित नहीं किया जाएगा कि उसने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि से एक वर्ष के बाद खुद को सशस्त्र बलों से मुक्त कर लिया है। "ऐसे उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि तक नियमों के परिशिष्ट-V (A) और V (B) [इस विज्ञापन के अनुलग्नक-VIII और IX] के अनुसार निर्धारित प्रमाण पत्र और वचनबद्धता भी अपने पास रखना आवश्यक है।
7. स्पष्टीकरण: "भूतपूर्व सैनिक" से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है:
 - 7.1. जिसने भारतीय संघ की नियमित सेना, नौसेना या वायुसेना में लड़ाकू या गैर-लड़ाकू के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो, और ; (i) जो या तो अपने स्वयं के अनुरोध पर या पेंशन प्राप्त करने के बाद नियोक्ता द्वारा सेवामुक्त किए जाने पर ऐसी सेवा से सेवानिवृत्त या कार्यमुक्त या सेवामुक्त हुआ हो; या (ii) जो सैन्य सेवा या उसके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर ऐसी सेवा से कार्यमुक्त हुआ हो और उसे चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई हो; या (iii) जो प्रतिष्ठान में कटौती के परिणामस्वरूप ऐसी सेवा से मुक्त हुआ हो; या
 - 7.2. जो नियुक्ति की विशिष्ट अवधि पूरी करने के पश्चात, अपने स्वयं के अनुरोध के अलावा, या बर्खास्तगी के माध्यम से, या कदाचार या अकुशलता के कारण सेवामुक्त कर दिया गया हो और उसे सेवानिवृत्ति भत्ता (ग्रेच्युटी) दी गई हो, और इसमें प्रादेशिक सेना के कार्मिक शामिल हैं, अर्थात् निरंतर सेवा या अर्हक सेवा के खंडित अवधियों के लिए पेंशन धारक; या
 - 7.3. सेना डाक सेवा के कार्मिक जो नियमित सेना का हिस्सा हैं और पेंशन के साथ अपनी मूल सेवा में वापस आए बिना सेना डाक सेवा से सेवानिवृत्त हुए हैं, या सैन्य सेवा या उनके नियंत्रण से परे परिस्थितियों के कारण चिकित्सा आधार पर सेना डाक सेवा से मुक्त हुए हैं और उन्हें चिकित्सा या अन्य विकलांगता पेंशन दी गई है; या
 - 7.4. कार्मिक, जो 14 अप्रैल, 1987 से पहले छह महीने से अधिक समय तक सेना डाक सेवा में प्रतिनियुक्ति पर थे; या

- 7.5 प्रादेशिक सेना के कर्मिकों सहित सशस्त्र बलों के वीरता पुरस्कार विजेता; या
- 7.6 भूतपूर्व भर्ती किए गए ऐसे व्यक्ति जिन्हें चिकित्सा आधार पर सेवामुक्त किया गया है या जिन्हें चिकित्सा विकलांगता पेंशन दी गई है। एक मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक (जिसमें वह भूतपूर्व सैनिक शामिल है, जिसने भारतीय सेना से शिक्षा का विशेष प्रमाण पत्र या नौसेना या वायु सेना में संबंधित प्रमाण पत्र प्राप्त किया है), जिसने संघ के सशस्त्र बलों में आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक कम से कम 15 वर्ष की सेवा की है, उसे केवल ईएसएम के लिए आरक्षित पदों के विरुद्ध समूह "ग" पदों पर नियुक्ति के लिए पात्र माना जाएगा। इस प्रकार, वे मैट्रिक पास भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि तक 15 वर्ष की सेवा पूरी नहीं की है, वे इन पदों के लिए पात्र नहीं हैं।
- G. अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. [एनसीएल]/ईडब्ल्यूएस/पीडब्ल्यूबीडी/भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को ऑनलाइन आवेदन के साथ केंद्र सरकार के तहत पदों की नियुक्ति के लिए मान्य निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण पत्र की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी। मूल प्रमाण पत्र सत्यापन के लिए सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा मांगे जाने पर प्रस्तुत किए जाने चाहिए। इन सभी प्रमाण पत्रों की सत्यता स्थापित होने तक उम्मीदवार की उम्मीदवारी/नियुक्ति अनंतिम रहेगी।
- H. केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/स्वायत्त निकायों में कार्यरत आवेदकों को आयु सीमा में कोई छूट नहीं दी जाएगी।
- I. भारत सरकार/सी.एस.आई.आर. के अनुदेशानुसार कुछ अन्य श्रेणियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में छूट दी जाएगी।
- J. ईडब्ल्यूएस के आरक्षण के आधार पर नियुक्ति चाहने वाले व्यक्ति को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसके पास डीओपीएंडटी के दिनांक 31.01.2019 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36039/1/2019-स्था. (Res.) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आय के आधार पर जारी वित्तीय वर्ष 2025-2026 के लिए वैध आय और संपत्ति प्रमाण पत्र है।
[ईडब्ल्यूएस प्रमाण पत्र के लिए प्रारूप (अनुलग्नक- III)]

4. आवेदन कैसे करें:

<https://nml.res.in> पर ऑनलाइन आवेदन पोर्टल पर उपलब्ध ऑनलाइन आवेदन के निर्देशों को ध्यान से पढ़ें।

- A. योग्य और इच्छुक उम्मीदवारों को केवल सीएसआईआर-एनएमएल वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए लिंक सीएसआईआर-एनएमएल की वेबसाइट यानी <https://nml.res.in> पर दिनांक **01.12.2025 (पूर्वाह्न 11.00 बजे)** से दिनांक **31.12.2025 (रात्री 11:00 बजे)** तक उपलब्ध रहेगा। आवेदन का कोई अन्य तरीका स्वीकार नहीं किया जाएगा। आवेदन पोर्टल का URL <https://itapps.nmlindia.org/JRSTNG> है।
- B. विज्ञापित पद कोड के विरुद्ध प्रत्येक अभ्यर्थी को केवल एक ही आवेदन प्रस्तुत करना होगा। उक्त पद कोड के लिए एक से अधिक आवेदन प्रस्तुत करने पर अभ्यर्थी की उम्मीदवारी निरस्त कर दी जाएगी।
- C. अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे आवेदन करने की अंतिम तिथि/समय का इंतजार किए बिना, ऑनलाइन आवेदन पत्र पहले ही जमा कर दें। सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. किसी भी कारण से आवेदन पत्र जमा न करने और/या आवेदन शुल्क का भुगतान न करने के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।
- D. अभ्यर्थियों के पास एक वैध एवं सक्रिय व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. होना आवश्यक है, जिसे इस भर्ती प्रक्रिया के पूर्ण होने तक सक्रिय रखा जाना चाहिए। इस ई-मेल आई.डी. का उल्लेख ऑनलाइन आवेदन पत्र में करना अनिवार्य है। यदि किसी अभ्यर्थी के पास वैध व्यक्तिगत ई-मेल आई.डी. नहीं है, तो उसे ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अपनी नई ई-मेल आई.डी. बना लेनी चाहिए।

- E. अभ्यर्थियों को अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का रंगीन फोटोग्राफ (तीन महीने से पुराना न हो) तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर हस्ताक्षर स्कैन करके अपलोड करना आवश्यक है।
- F. फोटोग्राफ [बिना टोपी, चश्मे और दोनों कान सामने से दिखाई देने वाला चेहरा; (आकार 15 KB से 30 KB) और उम्मीदवार के हस्ताक्षर [सादे सफेद कागज पर काली स्याही से; आकार 05 KB से 20 KB] अपेक्षित विनिर्देश के अनुसार होने चाहिए। हस्ताक्षर बड़े अक्षरों में नहीं होने चाहिए।
- G. उम्मीदवारों को एसबी कलेक्ट के माध्यम से लिंक पर क्लिक करके 500/- (केवल पाँच सौ रुपये) का आवेदन शुल्क देना होगा। (कृपया ऑनलाइन भुगतान के लिए [एसबी कलेक्ट \(SBI Collect\)](#) पर क्लिक करें) सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/न्यायालय → निदेशक एनएमएल खोर्जे → (भुगतान श्रेणी का चयन करें → आवेदन शुल्क का प्रकार चुनें → आवेदन का प्रकार [नियमित नियुक्ति] चुनें)। अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/दिव्यांगजन (PwBD)/महिला अभ्यर्थी/सीएसआईआर कर्मचारी तथा केवल वे भूतपूर्व सैनिक (ESM) जो आरक्षण श्रेणियों के लिए पात्र हैं—आवेदन शुल्क के भुगतान से मुक्त हैं। भुगतान किए जाने पर प्राप्त रसीद को भविष्य में संदर्भ हेतु सुरक्षित रखना अनिवार्य है।
- H. विश्वविद्यालयों/संस्थानों/बोर्डों/परिषदों द्वारा सीजीपीए/एसजीपीए/ओजीपीए ग्रेड आदि प्रदान करने के मामले में, अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि वे अपने विश्वविद्यालय/संस्थान/बोर्डों/परिषदों के अनुसार फार्मूले के आधार पर इसे प्रतिशत में परिवर्तित करें तथा ऑनलाइन आवेदन पत्र में निर्दिष्ट स्थानों पर इसका उल्लेख करें।
- I. ऑनलाइन आवेदन जमा करने के बाद, आवेदकों को भविष्य के संदर्भ के लिए कंप्यूटर-जनरेटेड आवेदन को सुरक्षित रखना होगा।
- J. एक बार आवेदन जमा हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जाएगा तथा भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में वापस नहीं किया जाएगा, न ही इसे किसी अन्य भर्ती या चयन प्रक्रिया के लिए आरक्षित रखा जा सकता है।
- K. सरकारी विभागों/स्वायत्त निकायों/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों/स्थानीय निकायों में कार्यरत उम्मीदवारों के आवेदनों पर वर्तमान नियोक्ताओं से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के साथ विचार किया जाएगा। यदि उम्मीदवार अपेक्षित एनओसी संलग्न नहीं कर सकता है, तो वह इस विज्ञापन के लिए अपने आवेदन के लिए एनओसी प्राप्त करने हेतु वर्तमान नियोक्ता को प्रस्तुत किए गए अनुरोध की स्व-सत्यापित प्रति संलग्न कर सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. द्वारा मांगे जाने पर अपेक्षित एनओसी प्रस्तुत करना होगा, अन्यथा उनकी उम्मीदवारी तत्काल समाप्त कर दी जाएगी। उक्त एनओसी में सतर्कता मंजूरी भी दर्ज की जानी चाहिए।
- L. ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए सभी दावों के समर्थन में स्व-सत्यापित दस्तावेजों के बिना, हस्ताक्षर, फोटो और अपलोड किए गए दस्तावेजों में से किसी के धुंधले होने की स्थिति में भी, आवेदन पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा और उसे सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाएगा।
- ऑनलाइन आवेदन पत्र भरते समय किसी भी तकनीकी समस्या/मुद्दे के मामले में हेल्पलाइन ई-मेल आईडी recruitment2025@admn.nml.in है।
- M. शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के नाम, परीक्षा की तिथि और समय आदि / इस भर्ती प्रक्रिया से संबंधित अन्य विवरण / अपडेट / शुद्धिपत्र / परिशिष्ट आदि के बारे में सभी आगे की घोषणाएं केवल सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. की आधिकारिक वेबसाइट <https://www.nml.res.in> पर समय-समय पर प्रकाशित / प्रदान की जाएंगी।
- N. निम्नलिखित दस्तावेजों को स्कैन करके [अधिकतम 4.5 एम.बी. की एकल पीडीएफ फाइल के रूप में] ऑनलाइन आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक है:
- 10^{वीं} / मैट्रिकुलेशन / माध्यमिक प्रमाण पत्र और अंक पत्र;
 - 12^{वीं} इंटरमीडिएट / 10+2 प्रमाणपत्र और अंक पत्र;
 - परीक्षा शुल्क भुगतान रसीद की प्रति, यदि कोई हो;

- iv. निम्नलिखित घोषणा, अभ्यर्थी द्वारा स्वयं के हस्तलेख में सादे सफेद कागज पर काली स्याही की कलम से लिखी गई:

मैं _____ (उम्मीदवार का नाम) एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. भर्ती **विज्ञापन संख्या 07/2025** के तहत मेरे द्वारा ऑनलाइन आवेदन में दी गई जानकारी मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही है। मैं समझता/समझती हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी / नियुक्ति रद्द / समाप्त की जा सकती है और मेरे खिलाफ उचित समझी जाने वाली कार्रवाई की जा सकती है।

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, दिनांक सहित

- v. अन्य शैक्षणिक योग्यता प्रमाण पत्र
- vi. दावा की गई समकक्ष शैक्षिक योग्यता के संबंध में आदेश/पत्र, जिसमें उस प्राधिकारी (संख्या और तारीख के साथ) का उल्लेख हो जिसके तहत इसे ऐसा माना गया है, यदि कोई अभ्यर्थी किसी विशिष्ट योग्यता को समकक्ष योग्यता के रूप में दावा कर रहा है।
- vii. जाति/श्रेणी प्रमाण पत्र, यदि आरक्षित श्रेणियों (अ.जा./अ.ज.जा./अ.पि.व. (एनसीएल)/ईडब्ल्यूएस) से संबंधित हो
- viii. यदि लागू हो तो आवश्यक प्रारूप में मानक दिव्यांगता प्रमाण पत्र
- ix. भूतपूर्व सैनिकों (ईएसएम) के लिए:
- क) **अनुलग्नक-IX** के अनुसार वचनबद्धता
- ख) **अनुलग्नक-VIII** के अनुसार सेवारत रक्षा कार्मिक प्रमाणपत्र, यदि लागू हो
- ग) सशस्त्र बलों से छुट्टी मिलने पर डिस्चार्ज प्रमाण पत्र / पीपीओ
- x. यदि आयु में छूट की मांग की जा रही हो तो कोई अन्य प्रासंगिक प्रमाण पत्र
- xi. यदि पहले से ही सरकारी विभाग / सरकारी उपक्रम / स्वायत्त निकाय / सी.एस.आई.आर. या इसकी प्रयोगशालाओं / संस्थानों में कार्यरत हैं तो अनापत्ति प्रमाण पत्र।
- xii. जो अभ्यर्थी मैट्रिकुलेशन के बाद विवाह, पुनर्विवाह या तलाक आदि के कारण नाम में परिवर्तन का दावा करता है, उसे ऑनलाइन आवेदन के साथ निम्नलिखित दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे:
- (क) महिलाओं के विवाहित होने की स्थिति में: पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें नाम दर्शाया गया हो पति-पत्नी का शपथ पत्र या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ ली गई संयुक्त तस्वीर के साथ पति-पत्नी का शपथ पत्र;
- (ख) महिलाओं के पुनर्विवाह के मामले में: पहले पति या पत्नी के संबंध में तलाक विलेख/मृत्यु प्रमाण पत्र, जैसा भी मामला हो; और वर्तमान पति के पासपोर्ट की फोटोकॉपी जिसमें पति या पत्नी का नाम हो या विवाह रजिस्ट्रार द्वारा जारी विवाह प्रमाण पत्र की सत्यापित प्रति या शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ लेकर पति और पत्नी का संयुक्त फोटोग्राफ;
- (ग) महिलाओं के तलाक के मामले में: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथपत्र के साथ तलाक विलेख और शपथपूर्वक हलफनामा/शपथपत्र की प्रमाणित प्रति;
- (घ) अन्य परिस्थितियों में पुरुष और महिला दोनों के लिए नाम परिवर्तन के लिए: शपथ आयुक्त के समक्ष विधिवत शपथ पत्र/शपथायुक्त हलफनामा और दो प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की मूल कटिंग (एक दैनिक समाचार पत्र आवेदक के स्थायी और वर्तमान पते या आस-पास के क्षेत्र का होना चाहिए) और राजपत्र अधिसूचना।

5. कदाचार/अनुचित साधनों के प्रयोग का दोषी पाए जाने वाले उम्मीदवारों के विरुद्ध कार्रवाई

उम्मीदवारों को उनके हित में सलाह दी जाती है कि वे ऑनलाइन आवेदन जमा करते समय कोई भी गलत, छेड़छाड़ किया हुआ या मनगढ़ंत विवरण न दें और कोई भी महत्वपूर्ण जानकारी न छिपाएँ। परीक्षा, साक्षात्कार या बाद की चयन प्रक्रिया के समय, यदि कोई उम्मीदवार निम्नलिखित में से किसी का दोषी पाया जाता है (या पाया गया है)-

- a. अनुचित साधनों का प्रयोग करना या
- b. किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिरूपण करना या प्रतिरूपण करवाना या
- c. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में दुर्यवहार करना या परीक्षण की सामग्री या उसमें दी गई किसी भी जानकारी को किसी भी रूप में या किसी भी माध्यम से, मौखिक या लिखित, इलेक्ट्रॉनिक या यांत्रिक रूप से किसी भी उद्देश्य के लिए प्रकट करना, प्रकाशित करना, पुनः प्रस्तुत करना, प्रसारित करना, संग्रहीत करना या प्रसारण और भंडारण में सुविधा प्रदान करना।
- d. अपनी उम्मीदवारी के संबंध में किसी भी अनियमित या अनुचित तरीके का सहारा लेना या
- e. अनुचित तरीकों से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त करना, या
- f. परीक्षा/साक्षात्कार हॉल में मोबाइल फोन या संचार के समान इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ले जाने पर, ऐसे उम्मीदवार पर न केवल आपराधिक मुकदमा चलाया जा सकता है, बल्कि वह उम्मीदवार निम्नलिखित का भी उत्तरदायी होगा:
 - I. उस परीक्षा से अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा जिसके लिए वह अभ्यर्थी है:
 - II. किसी भी परीक्षा से स्थायी रूप से या निर्दिष्ट अवधि के लिए वंचित किया जाना जो सी.एस.आई.आर. द्वारा संचालित हैं
 - III. सेवा समाप्ति, यदि वह पहले से ही संस्थान में शामिल हो गया है।

सक्षम प्राधिकारी, सी.एस.आई.आर.-एन.एम.एल. मामले की रिपोर्ट पुलिस/जांच एजेंसियों को भी कर सकते हैं, जैसा उचित समझें और सक्षम प्राधिकारी संबंधित प्राधिकारियों/फॉरेंसिक विशेषज्ञों द्वारा मामले की जांच कराने के लिए उचित कार्रवाई भी कर सकते हैं।



ह/-
प्रशासन नियंत्रक

एससी/एसटी प्रमाण पत्र का प्रारूप

जो उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में से किसी एक से संबंधित होने का दावा करता है, उसे अपने दावे के समर्थन में नीचे दिए गए फॉर्म में जिला अधिकारी या उप-मंडल अधिकारी या नीचे बताए गए किसी अन्य अधिकारी से प्रमाण पत्र की सत्यापित/प्रमाणित प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए, जो उस जिले का हो जिसमें उसके माता-पिता (या जीवित माता-पिता) आमतौर पर रहते हैं और जिसे संबंधित राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रमाण पत्र जारी करने के लिए सक्षम के रूप में नामित किया गया हो। यदि उसके माता-पिता दोनों मर चुके हैं, तो प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने वाला अधिकारी उस जिले का होना चाहिए जिसमें उम्मीदवार खुद अपनी शिक्षा के उद्देश्य के अलावा आमतौर पर रहता है। जहां भी फोटो प्रमाण पत्र का एक अभिन्न अंग है, आयोग ऐसे प्रमाणपत्रों की केवल सत्यापित फोटोकॉपी ही स्वीकार करेगा और कोई अन्य सत्यापित या सत्य प्रति स्वीकार नहीं करेगा।

(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी* _____ पुत्र/पुत्री
 _____ गांव/कस्बा* _____ जिला/मंडल
 * _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश* _____

जाति/जनजाति से संबंधित है जिसे अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता प्राप्त है:-

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950 _____
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950 _____
 संविधान (अनुसूचित जाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951 * _____ संविधान
 (अनुसूचित जनजाति) संघ राज्य क्षेत्र आदेश, 1951* _____

अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति सूची (संशोधन) आदेश, 1956, बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम, 1960 और पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम 1970, पूर्वोत्तर क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा संशोधित।

संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956 _____
 संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1959, जिसे अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन अधिनियम), 1976* द्वारा संशोधित किया गया।
 संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जाति आदेश 1962।
 संविधान (दादरा और नगर हवेली) अनुसूचित जनजाति आदेश 1962@.
 संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश 1964@
 संविधान (अनुसूचित जनजाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 @
 संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जाति आदेश, 1968@
 संविधान (गोवा, दमन और दीव) अनुसूचित जनजाति आदेश 1968 @

संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जनजाति आदेश, 1970 @
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश 1978@
 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जनजाति आदेश 1978@
 संविधान (जम्मू और कश्मीर) अनुसूचित जनजाति आदेश 1989@
 संविधान (एससी) आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1990@
 संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1991@
 संविधान (एसटी) आदेश (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1991@
 संविधान (एसटी) आदेश (संशोधन) अध्यादेश 1996@
 अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@
 संविधान (अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2002@
 संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश (संशोधन) अधिनियम 2007@
 %2 अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों के मामले में लागू जो एक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन से पलायन कर गए हैं।

यह प्रमाण पत्र
 श्री/श्रीमती _____ पिता/माताश्री/श्रीमती/कुमारी* _____
 गांव/कस्बा* _____ जिला/मंडल* _____ राज्य/संघ शासित
 प्रदेश* _____ के को जारी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र के आधार पर जारी किया
 जाता है, जो _____ जाति/जनजाति से संबंधित हैं जिसे राज्य/संघ शासित प्रदेश* में
 अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो दिनांक _____ द्वारा जारी
 किया गया है।

%3. श्री/श्रीमती/कुमारी और/या * उनका/उनकी फैमिली सामान्यतः _____
 राज्य/संघ शासित प्रदेश के _____ जिले/मंडल*
 _____ के गांव/कस्बा* _____ में रहती है।

हस्ताक्षर _____

** पद का नाम _____

(कार्यालय की मुहर के साथ)

स्थान _____

दिनांक _____

* कृपया उन शब्दों को हटा दें जो लागू न हों

@ कृपया विशिष्ट राष्ट्रपति आदेश उद्धृत करें

% जो पैराग्राफ लागू न हो उसे हटा दें।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द सामान्यतः निवास करने वाले का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

**** जाति/जनजाति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु अधिकृत प्राधिकारियों की सूची:**

- (i) जिला मजिस्ट्रेट / अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर/उपायुक्त/अतिरिक्त उपायुक्त/उपकलेक्टर/प्रथम श्रेणी वेतनभोगी मजिस्ट्रेट/उप-विभागीय मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त सहायक आयुक्त/तालुका मजिस्ट्रेट/कार्यकारी मजिस्ट्रेट।
- (ii) मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त मुख्य प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट।
- (iii) राजस्व अधिकारी जो तहसीलदार के पद से नीचे न हों।
- (iv) उस क्षेत्र के उप-विभागीय अधिकारी जहां अभ्यर्थी और/या उसका परिवार सामान्यतः रहता है।

नोट: तमिलनाडु राज्य के अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को केवल राजस्व प्रभागीय अधिकारी से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना चाहिए।



(भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति के लिए आवेदन करने वाले अन्य पिछड़े वर्गों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रमाण पत्र का प्रारूप)

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री
_____ गांव/शहर _____ जिला/मंडल
_____ राज्य/संघ शासित प्रदेश _____
के _____ समुदाय से संबंधित हैं, जिसे भारत सरकार, सामाजिक न्याय और
अधिकारिता मंत्रालय के संकल्प संख्या _____ दिनांक _____*
के तहत पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। श्री/श्रीमती/कुमारी _____
और/या उनका/उनकी परिवार सामान्यतया _____ राज्य/संघ शासित
प्रदेश के _____ जिले/मंडल में रहते हैं। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि वह
भारत सरकार, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36012/22/93-स्था.(एससीटी)
दिनांक 8.9.1993** की अनुसूची के कॉलम 3 में उल्लिखित व्यक्तियों/वर्गों (क्रीमी लेयर) से संबंधित
नहीं हैं।

जिला अधिकारी: _____

उपायुक्त आदि: _____

दिनांकित:

मुहर: 1950

2025

* प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी को भारत सरकार के संकल्प का विवरण देना पड़ सकता है, जिसमें अभ्यर्थी की जाति ओबीसी बताई गई हो।

** समय-समय पर संशोधित अनुसार।

नोट: यहां प्रयुक्त शब्द "सामान्यतः" का वही अर्थ होगा जो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 20 में है।

अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला घोषणा पत्र (सामुदायिक प्रमाण पत्र के अतिरिक्त)

मैंपुत्र/पुत्री श्रीगांव/कस्बा/शहर
.....जिलाराज्यका निवासी हूं, एतद्वारा घोषणा करता हूं कि मैंसमुदाय से हूं, जिसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 36102/22/93- स्थापना (एससीटी) दिनांक 8.09.1993 में निहित आदेशों के अनुसार सेवाओं में आरक्षण के प्रयोजनार्थ भारत सरकार द्वारा पिछड़ा वर्ग के रूप में मान्यता प्राप्त है। यह भी घोषित किया जाता है कि मैंने उक्त डीओपीएंडटी कार्यालय ज्ञापन दिनांक 8.09.1993, और कार्यालय ज्ञापन संख्या 36033/1/2013- स्थापना (निवास) दिनांक 13.09.2017 में निहित निर्देशों को पढ़ और समझ लिया है और मेरे पास यह घोषित करने के कारण हैं कि मैं तत्काल पूर्ववर्ती तीन वित्तीय वर्षों की आय के आधार पर ओबीसी (क्रीमी लेयर) श्रेणी में नहीं आता हूं।

हस्ताक्षर.....

पूरा नाम.....

पता.....



सरकार

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का नाम एवं पता)

आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं संपत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणपत्र संख्या _____

दिनांक _____

वर्ष _____ के लिए वैध

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी
स्थायी निवासी _____, गांव/गली _____ पोस्ट ऑफिस
_____ जिला _____ राज्य/संघ शासित प्रदेश _____ पिन कोड
_____ जिनकी तस्वीर नीचे सत्यापित है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनके/उनकी
'परिवार'** की सकल वार्षिक आय* वित्तीय वर्ष _____ के लिए 8 लाख रुपये (केवल आठ लाख रुपये) से कम है।
उनके/उनकी परिवार के पास निम्नलिखित में से कोई भी संपत्ति नहीं है ***:

- I. 5 एकड़ या उससे अधिक कृषि भूमि;
- II. 1000 वर्ग फुट और उससे अधिक का आवासीय प्लैट;
- III. अधिसूचित नगर पालिकाओं में 100 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड;
- IV. अधिसूचित नगर पालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक का आवासीय भूखंड।

2. श्री/श्रीमती/कुमारी _____ जाति से संबंधित हैं जिसे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (केन्द्रीय सूची) के रूप में मान्यता प्राप्त नहीं है।

कार्यालय की मुहर सहित हस्ताक्षर : _____

नाम : _____

पद का नाम : _____

आवेदक का
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का
सत्यापित फोटो

*नोट 1: आय में सभी स्रोत शामिल हैं, जैसे वेतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा आदि।

** नोट 2: इस प्रयोजन के लिए 'परिवार' शब्द में वह व्यक्ति शामिल है, जो आरक्षण का लाभ चाहता है, उसके माता-पिता और 18 वर्ष से कम आयु के भाई-बहन तथा उसका पति/पत्नी और 18 वर्ष से कम आयु के बच्चे भी शामिल हैं।

***नोट 3: ईडब्ल्यूएस स्थिति निर्धारित करने के लिए भूमि या संपत्ति धारण परीक्षण लागू करते समय एक "परिवार" द्वारा विभिन्न स्थानों या विभिन्न स्थानों/शहरों में रखी गई संपत्ति को एक साथ जोड़ दिया गया है।

फार्म-वी
विकलांगता प्रमाणपत्र

(अंगों के विच्छेदन या पूर्ण स्थायी पक्षाघात या बौनेपन और नेत्रहीनता के मामले में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो
(केवल चेहरा दिखाते
हुए) विकलांग व्यक्ति
का।

प्रमाणपत्र संख्या:

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
_____ जन्म तिथि (दिनांक/मास/वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला
_____ पंजीकरण संख्या _____ मकान संख्या _____ का स्थायी निवासी
वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर _____ जिला _____ राज्य
_____, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, का ध्यानपूर्वक परीक्षण किया है और मैं संतुष्ट हूँ कि:

(ए) वह निम्नलिखित में से एक मामला है:

- चलने-फिरने में अक्षमता
- बौनापन
- दृष्टिबाधित

(कृपया जहाँ लागू हो वहाँ टिक करें)

(बी) उसके मामले में निदान _____ है

(सी) दिशानिर्देशों के अनुसार उसके _____ (शरीर के अंग) के संबंध में _____% (आंकड़ों में)
_____ प्रतिशत (शब्दों में) स्थायी गतिशील विकलांगता/बौनापन/दृष्टिबाधित है (दिशानिर्देशों
की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जाए)।

2. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं: -

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर और मुहर)
अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण)

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके
पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है

फॉर्म – VI

विकलांगता प्रमाणपत्र

(एकाधिक विकलांगता के मामलों में)

[नियम 18(1) देखें]

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

नवीनतम पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो
(केवल घेहरा दिखाते
हुए) विकलांग व्यक्ति
का।

प्रमाणपत्र संख्या: : _____

दिनांक: _____

यह प्रमाणित किया जाता है कि हमने श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री
_____ जन्म तिथि (दिन/मास/वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष,
पुरुष/महिला _____ की सावधानीपूर्वक जांच की है।

पंजीकरण संख्या _____ मकान संख्या _____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य _____ का स्थायी निवासी हूं, जिसका फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और
मैं संतुष्ट हूं कि:

यह बहुदिव्यांगता का मामला है। स्थायी शारीरिक अक्षमता/दिव्यांगता की सीमा का आकलन निम्नलिखित
दिव्यांगताओं हेतु निर्धारित दिशानिर्देशों (दिशानिर्देश संख्या एवं निर्गमन तिथि उल्लेखित करें) के अनुसार किया गया
है, तथा संबंधित दिव्यांगता के समक्ष नीचे दी गई तालिका में दर्शाया गया है।



क्र.सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हुआ			
4.	बौनापन			
5.	मस्तिष्क पक्षाघात			
6.	एसिड अटैक पीड़िता			
7.	कम दृष्टि	#		
8.	दृष्टिबाधित	#		
9.	श्रवण-बाधित	£		
10.	सुनने में कठिन	£		
11.	वाणी एवं भाषा विकलांगता			
12.	बौद्धिक विकलांगता			
13.	विशिष्ट अधिगम विकलांगता			
14.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
15.	मानसिक बिमारी			
16.	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
17.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
18.	पार्किंसंस रोग			
19.	हीमोफीलिया			
20.	थैलेसीमिया			
21.	सिकल सेल रोग			

(बी) उपर्युक्त के आलोक में, दिशानिर्देशों के अनुसार उनकी समग्र स्थायी शारीरिक विकलांगता (दिशानिर्देशों की संख्या और जारी करने की तारीख निर्दिष्ट की जानी है) निम्नानुसार है:

आंकड़ों में: - ----- प्रतिशत

शब्दों में: - ----- प्रतिशत

2. यह स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

i. आवश्यक नहीं,

या

ii. वर्ष महीने के पश्चात अनुशंसित किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र
----- तक वैध रहेगा ।

(दिन)

(माह)

(वर्ष)

@ उदाहरणार्थ बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

उदाहरण एकल आँख

£ जैसे बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

5. चिकित्सा प्राधिकारी के हस्ताक्षर और मुहर।

सदस्य का नाम और मुहर	सदस्य का नाम और मुहर	अध्यक्ष का नाम और मुहर

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किया गया है।



फॉर्म – VII

विकलांगता प्रमाणपत्र

(फॉर्म V और VI में उल्लिखित मामलों के अलावा अन्य मामलों में)

(प्रमाणपत्र जारी करने वाले चिकित्सा प्राधिकारी का नाम और पता)

(नियम 18(1) देखें)

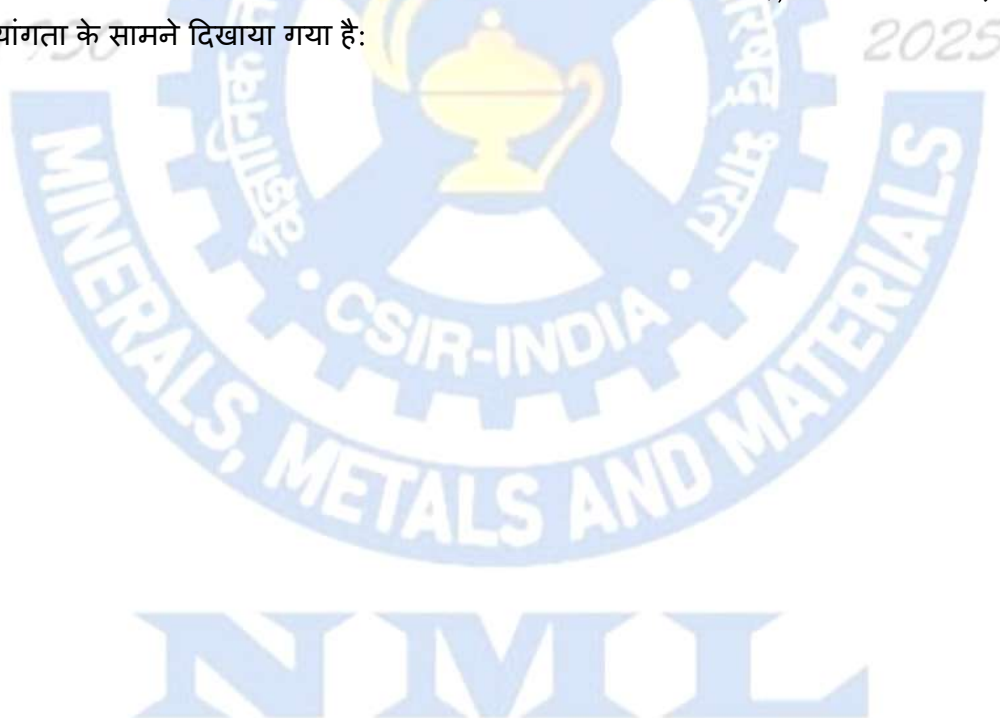
नवीनतम पासपोर्ट
आकार का सत्यापित
फोटो
(केवल चेहरा दिखाते
हुए) विकलांग व्यक्ति
का।

प्रमाणपत्र संख्या

दिनांक:

यह प्रमाणित किया जाता है कि मैंने ध्यानपूर्वक जांच की है

श्री/श्रीमती/कुमारी. _____ पुत्र/पत्नी/पुत्री श्री _____ जन्म
तिथि (दिनांक/मास/वर्ष) _____ आयु _____ वर्ष, पुरुष/महिला _____ पंजीकरण संख्या
_____ मकान संख्या _____ वार्ड/गांव/गली _____ डाकघर
_____ जिला _____ राज्य _____ का स्थायी निवासी, जिसका
फोटो ऊपर चिपका हुआ है, और मैं संतुष्ट हूं कि वह _____ विकलांगता का मामला
है। उसकी शारीरिक दुर्बलता/दिव्यांगता के प्रतिशत की सीमा का मूल्यांकन दिशानिर्देशों के अनुसार किया गया है
(..... दिशानिर्देशों के जारी करने की संख्या और तारीख निर्दिष्ट की जानी है) और नीचे दी गई तालिका में
संबंधित दिव्यांगता के सामने दिखाया गया है:



क्र. सं.	विकलांगता	शरीर का प्रभावित हिस्सा	निदान	स्थायी शारीरिक क्षति/मानसिक विकलांगता (% में)
1.	लोकोमोटर विकलांगता	@		
2.	मांसपेशीय दुर्विकास			
3.	कुष्ठ रोग ठीक हुआ			
4.	मस्तिष्क पक्षाघात			
5.	एसिड अटैक पीड़िता			
6.	कम दृष्टि	और		
7.	श्रवण-बाधित	€		
8.	सुनने में कठिन	€		
9.	वाणी एवं भाषा विकलांगता			
10.	बौद्धिक विकलांगता			
11.	विशिष्ट अधिगम विकलांगता			
12.	ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार			
13.	मानसिक बिमारी			
14.	क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल स्थितियां			
15.	मल्टीपल स्क्लेरोसिस			
16.	पार्किंसंस रोग			
17.	हीमोफीलिया			
18.	थैलेसीमिया			
19.	सिकल सेल रोग			

(कृपया उन विकलांगताओं को काट दें जो लागू नहीं हैं)

2. उपर्युक्त स्थिति प्रगतिशील/गैर-प्रगतिशील/सुधार की संभावना/सुधार की संभावना नहीं है।

3. विकलांगता का पुनर्मूल्यांकन:

(i) आवश्यक नहीं है, या

(ii) _____ वर्ष _____ महीने के बाद अनुशंसित किया जाता है, और इसलिए यह प्रमाणपत्र (दिनांक/माह/वर्ष) _____ तक वैध रहेगा

@ - जैसे: बायां/दायां/दोनों हाथ/पैर

#- उदाहरण: एक आँख/दोनों आँखें

€ - जैसे बायां/दायां/दोनों कान

4. आवेदक ने निवास प्रमाण के रूप में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत किए हैं:

दस्तावेज़ की प्रकृति	जारी करने की तिथि	प्रमाण पत्र जारी करने वाले प्राधिकारी का विवरण

(अधिसूचित चिकित्सा प्राधिकरण के अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता)

(नाम और मुहर)

प्रतिहस्ताक्षरित
{प्रतिहस्ताक्षर और मुहर
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/चिकित्सा अधीक्षक/
सरकारी अस्पताल के प्रमुख, यदि
प्रमाण पत्र एक चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा जारी किया जाता है जो
सरकारी कर्मचारी नहीं है (मुहर सहित)}

उस व्यक्ति के हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
जिसके पक्ष में विकलांगता प्रमाण पत्र जारी
किया गया है।

नोट: यदि यह प्रमाण पत्र किसी ऐसे चिकित्सा अधिकारी द्वारा जारी किया गया है जो सरकारी कर्मचारी नहीं है, तो यह तभी
वैध होगा जब जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित हो।



परीक्षार्थी की लेखन-संबंधी शारीरिक अक्षमता के संबंध में प्रमाण-पत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि, मैंने श्री/सुश्री/श्रीमती(विकलांग उम्मीदवार का नाम), जो(विकलांगता प्रमाण पत्र में उल्लिखित विकलांगता की प्रकृति और प्रतिशत) से पीड़ित हैं, उनके पुत्र/पुत्रीगांव/जिला/राज्य के निवासी हैं) का परीक्षण किया है और यह बताना है कि उनकी विकलांगता के कारण उनमें शारीरिक सीमाएं हैं जो उनकी लेखन क्षमताओं में बाधा डालती हैं।

हस्ताक्षर

मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/चिकित्सा अधीक्षक

सरकारी स्वास्थ्य देखभाल संस्थान

नाम और पदनाम

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान :

दिनांक:

1950

2025

नोट: प्रमाण पत्र संबंधित स्ट्रीम/दिव्यंगता के विशेषज्ञ द्वारा दिया जाना चाहिए (जैसे दृश्य दिव्यंगता-नेत्र रोग विशेषज्ञ, लोकोमोटर दिव्यंगता-हड्डी रोग विशेषज्ञ/पीएमआर)

NMIL

दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, परन्तु उक्त अधिनियम की धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले-अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता रखने वाले तथा लेखन-कठिनाई से ग्रस्त व्यक्तियों के लिए प्रमाण-पत्र।

यह प्रमाणित किया जाता है कि, हमने श्री/सुश्री/श्रीमती (उम्मीदवार का नाम), पुत्र/पुत्री , निवासी(गांव/पीओ/पीएस/जिला/राज्य), आयु वर्ष, (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) से पीड़ित व्यक्ति की जांच की है, तथा यह बताने के लिए कि उसकी उपरोक्त स्थिति के कारण उसकी लेखन क्षमता में बाधा उत्पन्न करने वाली सीमाएं हैं। उसे परीक्षा लिखने के लिए सहायक लेखक/स्क्राइब की सहायता की आवश्यकता है।

2. उपर्युक्त अभ्यर्थी सहायक उपकरण जैसे प्रोस्थेटिक्स एवं ऑर्थोटिक्स, श्रवण यंत्र (नाम निर्दिष्ट किया जाए) का उपयोग करता है, जो अभ्यर्थी के लिए सहायक लेखक/स्क्राइब की सहायता से परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आवश्यक है।

3. यह प्रमाण पत्र केवल भर्ती एजेंसियों के साथ-साथ शैक्षणिक संस्थानों द्वारा आयोजित लिखित परीक्षाओं में उपस्थित होने के उद्देश्य से जारी किया जाता है और यह _____ तक वैध होता है (यह अधिकतम छह महीने या उससे कम अवधि के लिए वैध होता है, जैसा कि चिकित्सा प्राधिकारी द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है)

(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)	(हस्ताक्षर और नाम)
आर्थोपेडिक / पीएमआर विशेषज्ञ	क्लिनिकल मनोवैज्ञानिक/ पुनर्वास मनोवैज्ञानिक/ मनोचिकित्सक/विशेष शिक्षक	न्यूरोलॉजिस्ट (यदि उपलब्ध हो)	व्यावसायिक चिकित्सक (यदि उपलब्ध हो)	अध्यक्ष द्वारा नामित अन्य विशेषज्ञ (यदि कोई हो)
(हस्ताक्षर और नाम)				
मुख्य चिकित्सा अधिकारी/सिविल सर्जन/मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी.....अध्यक्ष				

चिकित्सा प्राधिकारी का हस्ताक्षर

सरकारी अस्पताल/स्वास्थ्य देखभाल केंद्र का नाम मुहर सहित

स्थान :

दिनांक:

स्वयं कासहायक लेखक/स्क्राइब (स्क्राइब) उपयोग करने हेतु प्रतिज्ञा-पत्र

मैं, _____ (विकलांगता का नाम) वाला अभ्यर्थी हूँ, जो जिला _____,
_____ (राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम) में _____ (केंद्र का नाम) पर रोल नंबर
_____ के साथ _____ (परीक्षा का नाम) में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी
योग्यता _____ है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि _____ (स्क्राइब का नाम) उपरोक्त परीक्षा लेने
के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए सहायक लेखक/स्क्राइब/रीडर/प्रयोगशाला सहायक की सेवा प्रदान करेगा।

मैं यह वचन देता/देती हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी
योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुरूप नहीं है तथा मेरी योग्यता से परे है, तो मैं पद पर
अपना अधिकार तथा उससे संबंधित दावे खो दूंगा/दूंगी।

(दिव्यांग उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :



दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 की धारा 2(एस) की परिभाषा के अंतर्गत आने वाले, परन्तु धारा 2(आर) की परिभाषा के अंतर्गत न आने वाले-अर्थात् 40% से कम दिव्यांगता रखने वाले तथा लेखन-कठिनाई से ग्रस्त व्यक्तियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला प्रतिज्ञा-पत्र।

मैं _____, _____ (विकलांगता/स्थिति की प्रकृति) वाला अभ्यर्थी हूँ, जो _____ (परीक्षा का नाम) के लिए रोल नंबर _____ के साथ _____ जिले में _____, _____ (राज्य का नाम) में उपस्थित हो रहा हूँ। मेरी शैक्षणिक योग्यता _____ है।

2. मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि _____ (स्क्राइब का नाम) उपर्युक्त परीक्षा लेने के लिए नीचे हस्ताक्षरकर्ता के लिए सहायक लेखक/स्क्राइब की सेवा उपलब्ध कराएगा।

3. मैं यह वचन देता हूँ कि उसकी योग्यता _____ है। यदि बाद में यह पाया जाता है कि उसकी योग्यता नीचे हस्ताक्षरकर्ता द्वारा घोषित योग्यता के अनुसार नहीं है और मेरी योग्यता से परे है। मैं पद या प्रमाण पत्र/डिप्लोमा/डिग्री और उससे संबंधित दावों पर अपना अधिकार खो दूंगा / दूँगी।

(उम्मीदवार के हस्ताक्षर)

(यदि अभ्यर्थी नाबालिग है तो माता-पिता/अभिभावक द्वारा प्रतिहस्ताक्षर)

स्थान :

दिनांक :



कौशल परीक्षण / टाइपराइटिंग परीक्षण में उपस्थिति से छूट का दावा करने वाले मानक दिव्यांगजन (PwBD) अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला चिकित्सीय प्रमाण-पत्र का प्रारूप

यह प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/कुमारी _____ पुत्र/पुत्री/पत्नी श्री _____ से पीड़ित हैं।

नैदानिक निदान जिसके परिणामस्वरूप उन्हें निम्नलिखित दिव्यांगताएं हैं। (दिव्यांगता का संक्षिप्त विवरण)

यह एक स्थायी दिव्यांगता है तथा उनकी दिव्यांगता की सीमा कुल _____% निर्धारित होती है।

यह दिव्यांगता टाइपिंग कार्य में बाधा उत्पन्न करने की संभावना रखती है (उल्लेख करें)।

सिविल सर्जन के हस्ताक्षर:

नाम:

(आधिकारिक मुहर)

स्थान:

दिनांक:

अभ्यर्थी का फोटो
जिसमें चेहरा तथा शरीर
का प्रभावित भाग स्पष्ट
रूप से दिखाई दे रहा हो

अभ्यर्थी के हस्ताक्षर:

नाम:

रोल नंबर/आवेदन संख्या:

सेवारत रक्षा कार्मिकों के लिए प्रमाण पत्र

मैं एतद्वारा प्रमाणित करता/करती हूँ कि, मेरे पास उपलब्ध जानकारी के अनुसार (सं.)

_____ (रैंक) _____ (नाम)

_____ को सशस्त्र बलों के साथ अपनी नियुक्ति की निर्दिष्ट अवधि (तारीख)

_____ को पूरी करनी है।

(कमांडिंग ऑफिसर के हस्ताक्षर)

कार्यालय मुहर

स्थान :

दिनांक :



भूतपूर्व सैनिकों द्वारा दिया जाने वाला अभिप्रमाण

मैं, जिसका रोल नं. है, दिनांक परीक्षा के दस्तावेज सत्यापन के लिए उपस्थित हो रहा हूँ, यह वचन देता हूँ कि:

- मैं समय-समय पर संशोधित केन्द्रीय सिविल सेवाओं एवं पदों में भूतपूर्व सैनिकों की पुनर्नियुक्ति नियम, 1979 के अनुसार भूतपूर्व सैनिकों को स्वीकार्य लाभों का हकदार हूँ।
- मैंने भूतपूर्व सैनिकों को पुनर्नियुक्ति के लिए दिए जाने वाले आरक्षण का लाभ लेने के पश्चात नियमित आधार पर समूह 'सी' और 'डी' पदों पर सिविल सरकारी नौकरी (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों/सांविधिक निकायों, राष्ट्रीयकृत बैंकों आदि सहित) में कार्यभार ग्रहण नहीं किया है; या
- मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में सिविल में सरकारी नौकरी प्राप्त करने के लिए आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने को के कार्यालय में के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। मैं एतद्वारा वचन देता हूँ कि मैंने वर्तमान सिविल रोजगार में कार्यभार ग्रहण करने से पूर्व उपर्युक्त परीक्षा के लिए आवेदन की तिथिवार विस्तृत जानकारी के बारे में अपने वर्तमान नियोक्ता को स्व-घोषणा/अंडरटेकिंग प्रस्तुत कर दी है; या
- मैंने भूतपूर्व सैनिक के रूप में सिविल में सरकारी नौकरी पाने के लिए आरक्षण का लाभ उठाया है। मैंने के कार्यालय में के रूप में कार्यभार ग्रहण किया है। इसलिए, मैं केवल आयु-छूट के लिए पात्र हूँ;

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि उपरोक्त कथन मेरे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य, पूर्ण और सही हैं। मैं समझता हूँ कि किसी भी स्तर पर कोई भी जानकारी झूठी या गलत पाए जाने की स्थिति में, मेरी उम्मीदवारी/नियुक्ति रद्द/समाप्त की जा सकती है।

हस्ताक्षर :

नाम :

रोल नंबर :

दिनांक :

सशस्त्र बलों में नियुक्ति की तिथि :

मुक्ति की तारीख :

अंतिम यूनिट/कोर :

मोबाइल नंबर :

ई-मेल आईडी :